6 वेतन निर्धारण

1–प्रस्तावना–

1.1 प्रथमतः राजकीय सेवा में प्रथम नियुक्ति–योगदान अथवा पुनर्नियुक्ति के समय और तत्पश्चात् सेवा–काल में समय–समय पर प्राप्त पदोन्नति अथवा अन्य अवसरों, जैसे–सेलेक्शन ग्रेड/सुनिश्चित वित्तीय स्तरोन्नयन (ए0सी0पी0) की अनुमन्यता एवं वेतनमानों के पुनरीक्षण/संशोधन/उच्चीकरण और प्रत्यावर्तन आदि की दशा में सम्बन्धित कार्मिक को सुसंगत नियमों–शासनादेशों–प्रक्रियाओं के अधीन ''कब से'' और ''कितना'' **वेतन** ''किस प्रकार'' देय होगा, यह ''सक्षम प्राधिकारी'' के स्तर से यथास्थिति समुचित ''वेतन निर्धारण आदेश'' जारी किये जाने से ही औपचारिक रूप में सुनिश्चित होता है, जिसके आधार पर ही वेतन–भत्तों का भुगतान किया जाना चाहिये।

1.2 वेतन–निर्धारण के सामान्य नियम **वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–दो (भाग 2 से 4)** में उपलब्ध हैं, जिसमें उ0प्र0 मूल नियम, सहायक नियम एवं तत्सम्बन्धी प्रतिनिधायन और प्रपत्र आदि हैं। इस प्रसंग में समय– समय पर निर्गत शासनादेशों में वर्णित व्यवस्था–निर्देश भी अनुपालनीय हैं।

1.3 वेतन–निर्धारण की संनिरीक्षा की भी व्यवस्था को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिये वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–पाँच भाग–1 के प्रस्तर–399 (चार) तथा शासनादेश संख्या–आडिट–452/दस–2001, दिनांक 29–01–2001 एवं संख्या रा0आ0ले0प0प्र0–4080/दस–03–10(112A)/2001, दिनांक 20–10–2003 के परिप्रेक्ष्य में सेवानिवृत्ति के प्रसंग में शासनादेश संख्या– सा–3–35/दस–2007–101(6)/2005, दिनांक 16–05–2007 और सेवारत रहते हुये ही शासनादेश संख्या–सा–3–278/दस–07–10–101(6)/05, दिनांक 07–05–2007 में विभागों में तैनात वित्त एवं लेखा सेवा के अधिकारियों को उत्तरदायी बनाते हुये आवश्यक दिशा–निर्देश निम्नवत् निर्गत किये गये हैं :–

(i) शासन के विभिन्न विभागों में तैनात **वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/वित्त एवं लेखाधिकारी,** विभाग के अधीन कार्यरत समस्त कार्यालयों, संस्थाओं एवं सहायता प्राप्त अशासकीय शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों के वेतन निर्धारण की नियमित रूप से जाँच करते हुये, इसमें हो रही त्रुटियों को दूर करने के लिये प्रभावी कार्यवाही करेंगे।

(ii) आन्तरिक लेखापरीक्षा हेतु वार्षिक कार्य–योजना बनाते समय वेतन–निर्धारण की जाँच को विशिष्ट स्थान प्रदान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त जहाँ वेतनमानों के पुनरीक्षण/उच्चीकरण, समयमान वेतनमान की व्यवस्था के संशोधन इत्यादि से व्यापक प्रभाव पड़ता हो, वहाँ निर्धारित समयावधि में आन्तरिक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा वेतन–निर्धारण की जाँच हेतु विशेष सम्परीक्षा करायी जायेगी।

(iii) उपर्युक्त क्रमांक– (i) एवं (ii) के अनुसार जाँच/आडिट के दौरान वेतन–निर्धारण की त्रुटियाँ प्रकाश में आने की स्थिति में ऐसी त्रुटियों को सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों के संज्ञान में लाते हुये उनसे स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिया जाय तथा सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करने के बाद ही त्रुटिपूर्ण आदेशों को निरस्त/संशोधित करने तथा वसूली इत्यादि के आदेश निर्गत किये जायें। आवश्यकतानुसार ऐसे मामलों में सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग एवं वित्त विभाग का परामर्श प्राप्त किया जा सकता है।

1.4 उल्लेखनीय है कि मूल नियम, उन सभी सरकारी कर्मचारियों पर दिनांक 01–04–1942 से लागू हैं, जिनकी सेवा–शर्तें श्री राज्यपाल द्वारा यथाविधि निर्धारित की गयी हों या की जाँय। **(मूल नियम 1 एवं 2)**

1.5 वर्तमान में ''वेतन समिति उ0प्र0, 2008'' की संस्तुतियों पर दिनांक 01–01–2006 से लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना (यथासंशोधित), तद्विषयक वेतन–निर्धारण एवं सुनिश्चित वित्तीय स्तरोन्नयन (ए0सी0पी0) आदि से सम्बन्धित शासनादेश, जो वित्त विभाग द्वारा और यथावश्यकता प्रशासनिक विभागों द्वारा वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये गये हैं, उनका भी सम्यक् अवलोकन, अनुशीलन एवं कार्यान्वयन वांछनीय है।

2–वेतन निर्धारण की दशायें–

वेतन–निर्धारण से प्रायः मूल नियम–9 (21)(1) में परिभाषित ''वेतन'', जिसे सामान्यतया ''मूल वेतन' के रूप में जाना जाता है, की अनुमन्यता सुनिश्चित होती है। वेतन–निर्धारण के प्रकरणों को सामान्यतया निम्नलिखित दशाओं/कोटियों में विभक्त किया जा सकता है–

(1) प्रथम नियुक्ति–योगदान।
(2) किसी सेवा के पश्चात् ''व्यवधान'' हो जाने पर, जो त्यागपत्र (Resignation) या पृथक्करण (Removal) या पद्च्युति (Dismissal) के कारण न हो, पुनः उसी पद पर अथवा तत्समान (Identical) वेतनक्रम में किसी अन्य पद पर नियुक्ति।
(3) सरकारी सेवक, जिसका धारणाधिकार (LIEN) नहीं है, की अन्य पद, जिसके कर्तव्य एवं दायित्व पूर्व पद से कम अथवा बराबर हैं, पर नियुक्ति।
(4) केन्द्रीय सरकारी सेवक की उ0प्र0 शासन के अन्तर्गत नियुक्ति।
(5) सार्वजनिक उपक्रम/निगम अथवा विश्वविद्यालयों में कार्यरत सेवकों की राजकीय सेवा में नियुक्ति।
(6) छँटनीशुदा/फालतू सेवकों की नियुक्ति।
(7) समान वेतनक्रम के पद पर नियुक्ति/पदोन्नति।
(8) एक पद से दूसरे पद, जो अधिक कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व का न हो, पर नियुक्ति।
(9) किसी निम्न वेतनमान के पद पर सरकारी कर्मचारी के लिखित प्रार्थना–पत्र पर मूल नियम–15(क) के अन्तर्गत नियुक्ति/स्थानान्तरण।
(10) ऐसे पद पर नियुक्ति/पदोन्नति, जिसके कर्तव्य एवं दायित्व पूर्व/पोषक पद की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण हों।
(11) पूर्वगामी तिथि से (काल्पनिक/सैद्धांतिक/नोशनल/प्रोफार्मा) पदोन्नति।
(12) दिनांक 30–11–2008 तक लागू ''समयमान वेतनमान'' की व्यवस्था के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी के आदेश से स्वीकृत सेवा–लाभ की अनुमन्यता।
(13) ''समयमान वेतनमान'' की अनुमन्यता के पश्चात् तत्समान वेतन में ही पदोन्नति।
(14) दिनांक 01–12–2008 से लागू सुनिश्चित वित्तीय स्तरोन्नयन (ए0सी0पी0) की अनुमन्यता।
(15) ए0सी0पी0 की अनुमन्यता के पश्चात् पदोन्नति।
(16) पूर्व व्यवस्था (अपुनरीक्षित वेतन–संरचना) में वृद्धिरोध–वेतनवृद्धि की अनुमन्यता।
(17) प्रतिनियुक्ति/सेवा–स्थानान्तरण।
(18) ''नान फंक्शनल ग्रेड'' की अनुमन्यता।
(19) समय–समय पर पुनरीक्षित/संशोधित/उच्चीकृत वेतनमानों में वेतन–निर्धारण।
(20) संवर्गीय पुनर्गठन (कैडर–रिव्यू)
(21) प्रत्यावर्तित होने पर।
(22) सेवानिवृत्ति के पश्चात् पुनर्नियुक्ति।

3–मूल नियमों में कतिपय महत्वपूर्ण प्रावधान–

मूल नियम–5– इन नियमों के अन्तर्गत नियम बनाने या सामान्य आदेश जारी करने का अधिकार राज्यपाल द्वारा उस विधि से प्रयुक्त होगा, जो उन्होंने अधिनियम की धारा 59 की उपधारा (3) के अन्तर्गत बनाये गये नियमों में निर्धारित की हो।

मूल नियम–6– निम्नलिखित अपवादों के साथ राज्यपाल इन नियमों के अन्तर्गत अपने द्वारा प्रयुक्त होने वाले किसी भी अधिकार को, अपने नियंत्रण में किसी भी अधीनस्थ प्राधिकारी को ऐसी शर्तों के साथ प्रतिनिहित कर सकते हैं, जिन्हें वे लगाना उचित समझें–

- नियम बनाने का अधिकार,
- नियम 6,9(6)(ख), 44, 45–क, 45–ग, 83, 108–क, 119, 121 तथा 127 (ग), और नियम 30 के खंड (1) के प्रथम प्रतिबन्धात्मक खण्ड के अन्तर्गत अधिकार।

मूल नियम–7– वित्त विभाग के परामर्श के बिना इन नियमों के अन्तर्गत किन्हीं भी अधिकारों का प्रयोग या प्रतिनिधायन नहीं हो सकेगा। वित्त विभाग को यह अधिकार होगा कि वे, सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा उन मामलों को निर्दिष्ट कर दें, जिनमें उनकी सहमति दी गई समझी जायगी।

मूल नियम–24– साधारणतया वेतनवृद्धि स्वतः प्राप्त कर ली जायगी, जब तक कि उसे रोका न गया हो। यदि किसी सरकारी कर्मचारी का आचरण अच्छा न रहा हो या कार्य सन्तोषजनक न रहा हो, तो शासन द्वारा या किसी ऐसे प्राधिकारी द्वारा जिसको शासन ने नियम–6 के अन्तर्गत यह अधिकार प्रतिनिहित किया हो, उसकी वेतनवृद्धि रोक ली जा सकेगी। वेतनवृद्धि को रोकने के लिये आदेश देते हुये रोकने वाला प्राधिकारी यह अभिलिखित कर दे कि वह कितनी अवधि के लिये रोकी गयी है और स्थगन का प्रभाव यह होगा कि उसकी भविष्य की वेतनवृद्धियाँ भी स्थगित हो जायेंगी।

मूल नियम–27– कोई प्राधिकारी किसी सरकारी कर्मचारी को समयमान वेतनमान में **असामयिक वेतन–वृद्धि** प्रदान कर सकता है, यदि उसे उसी संवर्ग में उसी वेतनक्रम पर नये पद सृजित करने का अधिकार हो परन्तु ऐसी असामयिक वेतन–वृद्धि मानदेय या पुरस्कार स्वरूप नहीं दी जा सकती है।

4–वेतन निर्धारण में प्रायः प्रयुक्त होने वाले शब्दों/विषयों का तात्पर्य –

वेतन–निर्धारण की व्यवस्था–प्रक्रिया पर प्रकाश डाला जाय, इसके पूर्व ''वेतन'' और अन्य शब्दों, जो इस प्रसंग में प्रायः प्रयुक्त होते हैं, का सम्यक् ''तात्पर्य'' स्पष्ट करने के आशय से ''परिभाषाओं'' से सम्बन्धित निम्नलिखित उपनियम भी अवलोकनीय हैं :–

मूल नियम–9(1)– ''**अधिनियम**'' का अर्थ है, गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया ऐक्ट, 1935

मूल नियम–9(4)– ''**संवर्ग**'' का अर्थ है, किसी सेवा के पदों या किसी सेवा के एक भाग, जिसको एक अलग इकाई मानकर स्वीकृत किया गया हो, के पदों की कुल संख्या।

मूल नियम–9(7)– ''**वाह्य सेवा**'' का अर्थ है, वह सेवा जिसमें सरकारी कर्मचारी अपना मौलिक वेतन शासन की स्वीकृति से निम्नलिखित द्वारा प्राप्त करता है :–

(क) केन्द्रीय या राज्य सरकार अथवा रेलवे बोर्ड के राजस्वों के अतिरिक्त अन्य स्रोतों से।

(ख) स्टेट रेलवे चलाने वाली कम्पनी से।

मूल नियम–9(12)– ''**अवकाश वेतन**'' का अर्थ है, अवकाश के सम्बन्ध में सरकारी कर्मचारी को शासन द्वारा किया गया मासिक भुगतान।

मूल नियम–9(13)– ''**धारणाधिकार**'' का तात्पर्य, किसी कर्मचारी द्वारा किसी स्थायी पद को या तो तुरन्त अथवा उसकी अनुपस्थिति की अवधि या अवधियों के समाप्त होने पर मौलिक रूप से ग्रहण करने के अधिकार से है। इसमें वह सावधि पद (टेन्योर पोस्ट) भी सम्मिलित है, जिस पर वह मौलिक रूप से नियुक्त किया गया हो।

मूल नियम–9(21)– ''**वेतन**'' का अर्थ, उस धनराशि से है, जो सरकारी कर्मचारी प्रतिमास पाता है, जैसे–

(1) उसकी व्यक्तिगत अर्हताओं को दृष्टिगत रखते हुए स्वीकृत वेतन को छोड़कर जो भी वेतन उस पद के लिये स्वीकृत किया गया हो, जिस पर वह या तो स्थायी या स्थानापन्न रूप से नियुक्त हो और जिसको संवर्ग में अपनी स्थिति के कारण पाने का अधिकारी हो, तथा
(2) समुद्र पार वेतन, प्राविधिक वेतन, विशेष वेतन और वैयक्तिक वेतन, तथा
(3) अन्य कोई परिलब्धियाँ, जिसका वर्गीकरण करके राज्यपाल ने वेतन घोषित कर दिया हो।

मूल नियम–9(22)– ''**स्थायी पद**'' का अर्थ है, वह पद जिसके वेतन की एक निश्चित दर हो और जो बिना समय की सीमा लगाये हुए स्वीकृत किया गया हो।''

मूल नियम–9(23)– ''**व्यक्तिगत वेतन**'' का अर्थ हैं, वह अतिरिक्त वेतन जो सरकारी कर्मचारी को दिया जाय–

(क) उसे सावधि पद के अतिरिक्त स्थायी पद के मौलिक वेतन (Substantive pay) में वेतन पुनरीक्षण के कारण या अनुशासनात्मक कार्यवाही के अलावा मौलिक स्थायी वेतन में होने वाली कमी के कारण हानि से बचाने के लिये, अथवा
(ख) असामान्य (Exceptional) परिस्थितियों में अन्य व्यक्तिगत बातों को विचार करके।

मूल नियम–9(24)– ''**पद का परिकल्पित वेतन**''– जब किसी विशेष सरकारी कर्मचारी के संबंध में प्रयोग हो, तो उसके अर्थ हैं, वह वेतन जिसका कि वह हकदार होता, यदि वह उस पद को मौलिक रूप से (Substantively) धारण करता और उसकी ड्यूटी करता रहता, परन्तु इसमें विशेष वेतन सम्मिलित नहीं है जब तक कि वह सरकारी कर्मचारी उस कार्य को नहीं करता अथवा उस उत्तरदायित्व को नहीं निभाता या उन अस्वस्थ परिस्थितियों का सामना नहीं करता, जिनके कारण विशेष वेतन स्वीकृति किया गया था।

मूल नियम–9 (25)– ''**विशेष वेतन**'' का अर्थ है, वह परिवर्द्धन जिसका स्वरूप वेतन का सा हो और जो किसी पद की या सरकारी कर्मचारी की परिलब्धियों में निम्न बातों को ध्यान में रखते हुए स्वीकृत किया जाय–

(क) विशेष डयूटी के स्वरूप में दुरूहता के कारण, या
(ख) कार्य या उत्तरदायित्व में निश्चित वृद्धि के कारण, या
(ग) उस स्थान के अस्वस्थ वातावरण के कारण, जहाँ कार्य किया जाता है।

मूल नियम–9 (30)– ''**अस्थायी पद**'' का अर्थ है, वह पद जिसको एक निश्चित वेतन दर पर सीमित समय के लिये स्वीकृत किया गया हो।

मूल नियम–9 (30–क)– ''**सावधि पद**'' का अर्थ हैं, वह स्थायी पद जिस पर कोई सरकारी कर्मचारी एक निश्चित अवधि से अधिक समय तक तैनात नहीं रह सकता।

(टिप्पणी– यदि कोई संदेह हो, तो सरकार यह निर्णय कर सकती है कि कोई पद–विशेष, सावधि पद है या नहीं)

मूल नियम–9 (31)–

(क) ''**वेतनक्रम**'' का अर्थ है, वह वेतन जो इन नियमों में निर्धारित शर्तों के अधीन सामयिक वेतन वृद्धियों द्वारा निम्नतम से उच्चतम तक बढ़ता है। इसमें उस श्रेणी के वेतन भी सम्मिलित हैं, जो पहले प्रगतिशील वेतन कहलाते थे।
(ख) अगर दो वेतन–क्रमों का न्यूनतम, अधिकतम, वेतन–वृद्धि की अवधि और वेतन–वृद्धि की उसकी दर समान हो, तो वे तत्समान वेतन–क्रम (Indentical Time-Scale) कहलाते हैं।
(ग) एक पद उसी वेतन–क्रम (Same Time-Scale) में, जिसमें कि दूसरा पद हो, तभी समझा जाता है जब दोनों वेतन–क्रम तत्समान (Identical) हों, और वे पद एक ही संवर्ग के या किसी संवर्ग के एक श्रेणी के अन्तर्गत हों और यह संवर्ग या श्रेणी किसी सेवा या अधिष्ठान या अधिष्ठानों के समूह के उन सब पदों को भरने के लिये सृजित किये गये हों, जिनके कार्यों तथा उत्तरदायित्वों का माप या स्वरूप लगभग एक ही से हों ताकि पद विशेष (Particular

post) पर कार्य करने वाले का वेतन संवर्ग या श्रेणी में उसकी स्थिति (Position) के अनुसार निश्चित किया जाता हो और न कि इस बात से कि वह इस पद पर नियुक्त है।

5–वेतन की अनुमन्यता–

5.1 सामान्यतया कोई सरकारी कर्मचारी कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से, यदि कार्यभार उस तिथि के मध्यान्ह से पूर्व हस्तान्तरित किया गया हो, अपने पद की अवधि पर सम्बद्ध वेतन और भत्तों को पाने लगेगा किन्तु यदि कार्यभार मध्यान्ह के पश्चात् हस्तान्तरित हो, तो उसके अगले दिन से पाना आरम्भ करेगा और जैसे ही उसके द्वारा उस पद की कार्य करना समाप्त हो जाय, वैसे ही उसका उन्हें पाना भी समाप्त हो जायगा।
(मूल नियम–17 एवं तत्सम्बन्धी लेखा परीक्षा अनुदेश–1)

5.2 किसी सरकारी कर्मचारी का वेतन उस वेतन से अधिक न होगा, जो सक्षम प्राधिकारी ने उस पद के लिये स्वीकृत किया हो, जिस पर वह नियुक्त हो। शासन की स्वीकृति के बिना किसी सरकारी कर्मचारी को कोई विशेष या व्यक्तिगत वेतन प्रदान नहीं किया जायगा। *(मूल नियम–19)*

5.3 यथानिर्धारित/अनुमन्य वेतन के आहरण–भुगतान के प्रसंग में मूल नियम–16 तथा वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–पाँच भाग–1 के प्रस्तर–132 133, 136 एवं 140 के प्रावधानों को भी विशेष रूप से संज्ञान में लिया जाना चाहिये।

5.4 कोई पद विशेष अपेक्षाकृत उच्च है या निम्न, इसे निर्धारित करने की कसौटी सम्बद्ध पदों के वेतनमानों की अधिकतम धनराशि है। *(शासनादेश संख्या– जी–1–263/दस–143–1965, दिनांक 28–02–1966 के प्रस्तर–4 का उप प्रस्तर–4 तत्सम्बन्धी स्पष्टीकरण विषयक शासनादेश सं0–जी–2–604/दस– 97–312–97, दिनांक 22–07–1997)*

5.5 पूर्वगामी प्रभाव से पदोन्नति के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या–13/2/84/का–1/97, दिनांक 23–08–1997 द्वारा पूर्व के समस्त शासनादेशों/प्रावधानों को निरस्त करते हुये निम्नलिखित निर्णय लिया गया है–

''उ0प्र0 लोक सेवा आयोग सपरामर्श चयनोन्नति प्रक्रिया नियमावली, 1978 के नियम 8 तथा उ0प्र0 लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर के पदों पर चयनोन्नति पात्रता सूची नियमावली, 1986 के नियम (2) के अनुसार प्रत्येक वर्ष के सम्बन्ध में पृथक–पृथक पात्रता सूची तैयार करने का प्रावधान है। इसका आशय यह है कि संबंधित वर्ष में जो कार्मिक पात्रता सूची में सम्मिलित किये जाने हेतु अर्ह थे, उनके नाम उस वर्ष की पात्रता सूची में रखे जायेंगे, भले ही चयन की कार्यवाही के समय कार्मिक की मृत्यु हो चुकी हो अथवा वह सेवानिवृत्त हो चुका हो परन्तु जहाँ तक नोशनल पदोन्नति का प्रश्न है, रिक्ति की तिथि से पदोन्नति दिये जाने की कोई विधिक बाध्यता नहीं हैं। सम्प्रति नोशनल पदोन्नति सदैव कनिष्ठ की पदोन्नति की तिथि से ही विचारणीय होती है बशर्ते कि कनिष्ठ की पदोन्नति से नोशनल पदोन्नति प्रदान किये जाने हेतु सम्बन्धित सरकारी सेवक को चयन समिति द्वारा उपयुक्त पाया गया हो।''

6–वेतन निर्धारण की प्रक्रिया–

यथास्थिति प्रकरण–विशेष में सुसंगत नियमों–आदेशों के अनुसार वेतन–निर्धारण की प्रक्रिया निम्नवत् अपनायी जानी चाहिये :–

6.1 प्रथम नियुक्ति–योगदान पर वेतन–निर्धारण :–

(क) दिनांक 01–01–2006 से लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना से पूर्व लागू रहे वेतनमानों के परिप्रेक्ष्य में प्रथम नियुक्ति योगदान के फलस्वरूप सामान्यतया अर्थात् किसी विशिष्ट पद या सेवा के लिये किसी विशेष दशा में उच्च प्रारम्भिक वेतन की कोई विशिष्ट व्यवस्था तत्समय लागू किसी

नियम–शासनादेश में यदि रही हो, तो उसे अपवाद रूप में छोड़कर, उस पद से सम्बद्ध वेतन की अनुमन्यता तत्सम्बन्धित ''वेतनक्रम में न्यूनतम स्तर अर्थात आरम्भिक स्तर'' के अनुसार ही रही है, और इसके लिये प्रायः अलग से वेतन निर्धारण की आवश्यकता नहीं रही है।

(ख) शासनादेश संख्या–जी–1–1035/दस–206/1970, दिनांक 28–10–1970 में समस्त प्रशासकीय विभागों से यह अपेक्षा रही है कि यदि ''उच्च प्रारम्भिक वेतन'' की आवश्यकता हो, तो वित्त विभाग की पूर्व सहमति, से इस बात का सुस्पष्ट उल्लेख नियुक्ति विभाग के कार्यालय–ज्ञाप सं0–41/5/66–नियुक्ति (ख), दिनांक 04–04–1968 के साथ संलग्न अधियाचन–प्रपत्र के स्तम्भ–8 में कर दिया जाय कि सुयोग्य बाहरी अभ्यर्थियों को आयोग की संस्तुति पर किस सीमा तक उच्च प्रारम्भिक वेतन दिया जा सकेगा, जिससे ऐसा प्रावधान आयोग द्वारा प्रसारित विज्ञापन में भी किया जा सके और यदि विज्ञापन में ऐसा प्रावधान नहीं होगा, तो फिर उच्च प्रारम्भिक वेतन स्वीकार करना सम्भव न होगा, किन्तु अग्रेतर शासनादेश संख्या–जी–2–2096/दस–206/70, दिनांक 05–03–1973 में निहित निर्देशानुसार आयोग द्वारा नियमित भर्ती होने तक, जब तदर्थ नियुक्तियाँ की जाँय, तब कोई उच्चतर प्रारम्भिक वेतन नहीं दिया जाय।

(ग) दिनांक 01–01–2006 से लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन–निर्धारण विषयक शासनादेश संख्या– वे0आ0–2–1318/दस–59(एम)/2008, दिनांक 08–12–2008 के प्रस्तर–6 में दिनांक 01–01–2006 को अथवा उसके बाद नवनियुक्त सेवकों के लिये पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन–निर्धारण की व्यवस्था निम्नवत् है–

(1) दिनांक 01–01–2006 को अथवा उसके बाद नवनियुक्त सरकारी सेवकों के सम्बन्ध में उक्त शासनादेश का संलग्नक–2 सम्बन्धित वेतन बैण्ड में उस प्रारम्भिक स्तर को दर्शाता है जिस पर किसी विशिष्ट ग्रेड वेतन वाले विशेष पद पर सीधी भर्ती से आये सेवकों का वेतन दिनांक 01 जनवरी, 2006 को अथवा उसके बाद निर्धारित किया जायेगा।

(2) यह व्यवस्था 01 जनवरी, 2006 और उक्त शासनादेश दिनांक 08–12–2008 के जारी होने की तिथि के बीच भर्ती हुए कर्मचारियों के मामले में भी लागू है। ऐसे मामलों में जहाँ अपुनरीक्षित वेतनमानों में परिलब्धियाँ (अर्थात् सेवा में आने की तिथि को लागू तत्कालीन वेतनमान/वेतनमानों में मूल वेतन तथा महंगाई भत्ता का योग) पुनरीक्षित वेतन संरचना में निर्धारित वेतन तथा उस पर स्वीकार्य महंगाई भत्ते के जोड़ से अधिक हो, तो उस अंतर को वेतन में होने वाली अनुवर्ती वेतनवृद्धियों में वैयक्तिक वेतन के रूप में समाहित करने की अनुमति होगी।

(घ) दिनांक 01–01–2006 को अथवा उसके बाद नियुक्त सीधी भर्ती के कर्मचारियों के लिये पुनरीक्षित वेतन संरचना में अनुमन्य प्रारम्भिक वेतन–स्तर का विवरण उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 08–12–2008 के प्रस्तर–6 में संदर्भित संलग्नक–2 (ब) के अनुसार निम्नवत् है –

वेतन बैण्ड–1 (₹5,200–₹20,200)

ग्रेड वेतन (₹)	वेतन बैंड में वेतन (₹)	कुल (₹)
1,800	5,200	7,000
1,900	5,830	7,730
2,000	6,460	8,460
2,400	7,510	9,910
2,800	8,560	11,360

वेतन बैण्ड–2 (₹9,300–₹34,800)

ग्रेड वेतन (₹)	वेतन बैंड में वेतन (₹)	कुल (₹)
4,200	9,300	13,500

4,600	12,540	17,140
4,800	13,350	18,150

वेतन बैण्ड–3 (₹15,600–₹39,100)

ग्रेड वेतन (₹)	वेतन बैंड में वेतन (₹)	कुल (₹)
5,400	15,600	21,000
6,600	18,750	25,350
7,600	21,900	29,500

वेतन बैण्ड–4 (₹37,400–₹67,000)

ग्रेड वेतन (₹)	वेतन बैंड में वेतन (₹)	कुल (₹)
8,700	37,400	46,100
8,900	40,200	49,100
10,000	43,000	53,000
12,000	47,100	59,100

(ड़) उल्लेखनीय है कि उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 08–12–2008 के संलग्नक–2 (ब) में उपलब्ध तालिका में अपुनरीक्षित वेतनमान ₹2,550–₹3,200, ₹2,610–₹3,540 एवं ₹2,650–₹4,000 कि सादृश्य उक्त शासनादेश के ही संलग्नक–2(अ) में उल्लिखित वेतन बैण्ड–1 एस/₹4,440–₹7,440 के अन्तर्गत ग्रेड वेतन ₹1,300, ₹1,400 एवं ₹1,650 से सम्बन्धित ''प्रारम्भिक वेतन'' का समावेश छूट गया था। अतएव अग्रेतर शासनादेश संख्या– वे0 आ0–2–1371/दस–59 (एम)–2008, दिनांक 02–01–2009 द्वारा उक्त संलग्नक–2(ब) की तालिका में उसका भी समावेश वेतन बैण्ड–1 के ऊपर निम्नवत् किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है–

वेतन बैण्ड–1 एस (₹4440–₹7440)

ग्रेड वेतन (₹)	वेतन बैंड में वेतन (₹)	कुल (₹)
1,300	4,750	6,050
1,400	4,860	6,260
1,650	4,930	6,580

6.2 अस्थायी अथवा स्थानापन्न सेवा के पश्चात व्यवधान हो जाने पर (जो त्यागपत्र/रिमूवल/डिसमिसल के कारण न हो) पुनः उसी पद पर अथवा तत्समान वेतनमान में किसी अन्य पद पर नियुक्ति होने पर वेतन–निर्धारण

मूल नियम 22(ए) प्रोविजों I(i) से (iii), मूल नियम 31 के नीचे सम्प्रेक्षा अनुदेश का पैरा 5 व उसी के नीचे राज्यपाल महोदय के आदेश पैरा–2 एवं मूल नियम–26(ए)

उदाहरण–

जिस स्तर पर पहले मूल वेतन आहरित कर रहा था पुनः नियुक्त होने पर, उसी स्तर पर वेतन निर्धारित होगा तथा उस स्तर पर की गयी पूर्व सेवा वेतनवृद्धि हेतु गणना में सम्मिलित की जायेगी। जैसे कि–

"क" सरकारी सेवक किसी पद के वेतनमान में किसी अवधि में (जैसे दिनांक 01–04–2002 से दिनांक 30–09–2004 तक) कार्य किया। तत्पश्चात् कोई रिक्त पद उपलब्ध न होने के कारण सेवा में व्यवधान रहा किन्तु पुनः उसी वेतनमान में नियुक्त हुआ। ऐसी स्थिति में पुनः योगदान तिथि (जैसे दिनांक 01–12–2004) से उसी दर से मूल वेतन पायेगा, जो पूर्व में अंतिम मूल वेतन था, तथा

उसी वेतन दर पर की सेवावधि की गणना वेतनवृद्धि हेतु करते हुये वार्षिक वेतनवृद्धि देय हो जायेगी।

6.3 जब कोई सरकारी सेवक जिसका किसी पद पर लियन (धारणाधिकार) नहीं है, किसी ऐसे पद पर स्थायी, अस्थायी अथवा स्थानापन्न रूप से नियुक्त होता है, जिसके कर्तव्य एवं दायित्व पूर्व पद से कम अथवा बराबर हैं तथा जिसका मामला मूल नियम 22, 22–वी अथवा 26(सी) के अन्तर्गत नहीं आता है, का वेतन–निर्धारण

मूल नियम 22–सी

ऐसे मामलों में उसका प्रारम्भिक वेतन पूर्व पद पर की गयी प्रत्येक पूर्ण वर्ष की सेवा पर एक अतिरिक्त वेतन–वृद्धि देते हुये निर्धारित किया जायेगा। इस प्रकार की वेतन –वृद्धि नये पद के न्यूनतम स्तर पर देय होगी, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इस प्रकार से निर्धारित वेतन निम्नलिखित से अधिक नहीं होगा :–

(क) पिछले पद पर लिया गया वेतन

और

(ख) नये पद के वेतनमान का अधिकतम

यदि नया पद समान वेतन के समयमान वाला हो, तो पूर्व पद पर जो अन्तिम वेतन था, वही मिलेगा और उस वेतन स्तर पर की गयी सेवा को नये पद पर वेतनवृद्धि की गणना में सम्मिलित किया जायेगा। जैसे कि–

उदाहरण–

''एक सरकारी सेवक ने किसी पद के वेतनमान में दिनांक 01–03–2001 से दिनांक 31–05–2005 तक अर्थात पूर्ण 4 वर्ष से अधिक अवधि में अस्थायी रूप से कार्य किया और दिनांक 01–06–2005 से छँटनी के कारण उसकी सेवायें समाप्त हो गईं। तत्पश्चात् उ0प्र0 सरकार के अधीन किसी भी विभाग में समान अथवा निम्न वेतनमान के पद पर दिनांक 01–10–2005 से नियुक्ति होती है, तो पूर्व पद पर की गयी प्रत्येक पूर्ण वर्ष की सेवा पर एक वेतनवृद्धि के आधार पर उसको चार अतिरिक्त वेतनवृद्धियाँ देते हुय किन्तु उपर्युक्त प्रतिबन्धों के अधीन देकर दिनांक 01–10–2005 से प्रारम्भिक वेतन निर्धारित किया जायेगा।

नोट :– यदि पूर्व पद निःसम्वर्गीय था, तो उस पर की गई सेवा के सम्बन्ध में ऐसे वेतन–निर्धारण का लाभ अनुमन्य नहीं होगा।

6.4 केन्द्रीय सरकारी सेवक की उ0प्र0 शासन के अधीन नियुक्ति होने पर वेतन–निर्धारण

शासनादेश संख्या– जी–2–673/दस–81/234–71, दिनांक 02–07–1981 के अनुसार केन्द्रीय कर्मचारियों की राज्य सरकार के अन्तर्गत किसी पद पर नियुक्ति होने की दशा में उनका वेतन, जो भारत सरकार के अन्तर्गत ''स्थायी'' हैं तथा जिनका ''लियन'' भारत सरकार के अधीन तब तक सुरक्षित रहेगा, जब तक कि उन्हें राज्य सरकार की सेवा में ''स्थायी रूप'' से संविलीन नहीं कर लिया जाता, सामान्य नियमों के अन्तर्गत निर्धारित किया जायगा। सामान्य नियमों से आशय मूल नियम–22–बी, 22–सी तथा मूल नियम–31 के साथ पठित मूल नियम–22 से है और

इसके विपरीत भारत सरकार के ''अस्थायी'' कर्मचारियों को राज्य शासन के अन्तर्गत उनके पद के वेतनमान का न्यूनतम वेतन ही प्राप्त होगा।

6.5 सार्वजनिक उपक्रम/निगम, विश्वविद्यालय में कार्यरत सेवकों की राजकीय सेवा में नियमित रूप से एवं निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार नियुक्ति होने पर वेतन संरक्षण/निर्धारण हेतु दिनांक 01–02–1992 से प्रभावी विशेष व्यवस्था

(1) इस प्रकार के वेतन–निर्धारण अथवा वेतन–संरक्षण की व्यवस्था सामान्य वित्तीय नियमों में नहीं है किन्तु शासनादेश संख्या– जी–2–359/दस–1998, दिनांक 12–06–1998 एवं उसके क्रम में निर्गत शासनादेशों, जैसे– संख्या–जी–2–1252/दस–2000–301–98, दिनांक 21–11–2000, संख्या– जी–2–477/दस– 2001–301–98, दिनांक 09–08–2001, संख्या–जी–2–1214/दस–2003–307/2003, दिनांक 22–08– 2003 एवं संख्या–जी–2–929/दस–2004–301–98, दिनांक 19–05–2004 में निहित व्यवस्था विशेष, जो दिनांक 01–02–1992 से प्रभावी की गयी है, के अनुसार यथा इंगित प्रतिबन्धों के अन्तर्गत राज्य सरकार के अपने सार्वजनिक उपक्रम/निगम, विश्वविद्यालय में कार्यरत कर्मचारियों तथा भारत सरकार के सार्वजनिक उपक्रम/निगम में कार्यरत कर्मचारियों की लोक सेवा आयोग/सक्षम स्तर की चयन समिति द्वारा चयनोपरान्त राज्य सरकार की सेवा में नियुक्त होने पर उन्हे सार्वजनिक उपक्रम/निगम, विश्वविद्यालय में प्राप्त अन्तिम वेतन का स्तर यदि सरकारी सेवा में नियुक्त पद के वेतनमान में उपलब्ध है, तो उसी स्तर पर अन्यथा नियुक्त पद के वेतनमान में उससे निम्न स्तर पर संरक्षित किया जायेगा, ताकि संबंधित सेवक को कम से कम हानि हो, किन्तु किसी भी दशा में नियुक्ति पद के वेतनमान के अधिकतम से अधिक वेतन संरक्षित नहीं किया जायेगा।

(2) उक्त शासनादेश दिनांक 22–08–2003 में यह सुस्पष्ट किया गया है कि उपर्युक्त शासनादेश में निहित यह व्यवस्था सार्वजनिक उपक्रम/निगम के छँटनी किये गये कर्मियों के रूप में समायोजित सेवकों के सम्बन्ध में प्रभावी नहीं है।

(3) भारत सरकार के सार्वजनिक उपक्रम/निगम में वेतनमान का पुनरीक्षण केन्द्र सरकार के कर्मचारियों से सम्बद्ध नहीं रहा है तथा महँगाई भत्ते की दरें भी पृथक से निर्धारित रही है। अतः भारत सरकार के सार्वजनिक उपक्रम/निगम के कर्मियों की राज्य सरकार में नियमित रूप से निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार चयनोपरान्त नियुक्ति पर वेतन–संरक्षण के सम्बन्ध में उक्त शासनादेश दिनांक 19–05–2004 द्वारा यह स्पष्टीकरण निर्गत किया है :–

''सम्बन्धित सेवक को भारत सरकार के सार्वजनिक उपक्रम/निगम में प्राप्त अन्तिम वेतन एवं महँगाई भत्ते की कुल धनराशि को राज्य सरकार में संरक्षित करने हेतु सम्बन्धित सेवक के मूल वेतन का वह स्तर लिया जाय, जिससे मूल वेतन एवं नियुक्ति की तिथि को देय महँगाई भत्ते की कुल धनराशि, भारत सरकार के सार्वजनिक उपक्रम/निगम में प्राप्त मूल वेतन एवं महँगाई भत्ते की सम्मिलित धनराशि से अधिक न होने पाये तथा सम्बन्धित सेवकों को न्यूतनतम हानि हो।''

(4) इस सन्दर्भ में भारतीय जीवन बीमा निगम के एक कर्मी की राजकीय सेवा में तत्कालीन वेतनमान ₹5000–150–8000 में नियुक्ति होने पर वेतन–संरक्षण का एक उदाहरण उक्त शासनादेश दिनांक 19– 05–2004 के अनुसार निम्नवत् है–

उदाहरण– श्री ''क' भारतीय जीवन बीमा निगम में सहायक के पद पर वेतनमान ₹3,385–185–3,570–200– 3,980–225–5,105–270–5,645–300–6,545–325–7,195–360–8,995 में कार्यरत थे।

श्री ''क' की नियुक्ति राज्य सरकार के वेतनमान ₹5,000–150–8,000 में हुयी।

श्री ''क' का त्याग पत्र भारतीय जीवन बीमा निगम से दिनांक 26–12–2000 को स्वीकार किया गया। श्री ''क' ने राजकीय सेवा के पद पर दिनांक 31–12–2000 को पूर्वान्ह में कार्यभार ग्रहण किया।

श्री ''क' भारतीय जीवन बीमा निगम में निम्न वेतन/परिलब्धियाँ प्राप्त कर रहे थे–

वेतन	₹6545.00
महँगाई	₹1685.99
मकान किराया भत्ता	₹523.60
नगर प्रतिकर भत्ता	₹163.63
वाहन भत्ता	₹ 50.00
योग	₹8968.22

श्री ''क' को भारतीय जीवन बीमा निगम में प्राप्त मूल वेतन ₹6545 तथा महंगाई भत्ता ₹1685.99 के कुल योग ₹8230.99 के आधार पर राजकीय सेवा में कार्यभार ग्रहण करने की राजकीय (तिथि दिनांक 31–12–2000 पूर्वान्ह) को वेतन निम्न प्रकार से आगणित कर संरक्षित किया जायेगा–

1– वेतन	₹5000.00	₹5750.00	₹5900.00
2– महंगाई (31.12.2000 को 41 प्रतिशत)	₹2050.00	₹2358.00	₹2419.00
	₹7050.00	₹8108.00	₹8319.00

उपर्युक्त विववरण के अनुसार वेतन और महंगाई भत्ते के योग को देखते हुये श्री ''क' का वेतन ₹5,750 प्रतिमाह निर्धारित होने पर न्यूनतम हानि हो रही है। अतः श्री ''क' का वेतन राजकीय सेवा में नियुक्त पद के वेतनमान ₹5,000–8,000 में कार्यभार ग्रहण की तिथि दिनांक 31.12.2000 को ₹5,750 प्रतिमाह निर्धारित होगा।

6.6 फालतू/छँटनी शुदा सेवकों की नियुक्ति पर वेतन–निर्धारण

(क) शासन द्वारा व्यय में कमी करने के उद्देश्य से समय–समय पर यथेष्ट संख्या में ''फालतू'' कर्मचारियों को अन्य पदों पर खपाये जाने के उपरान्त वही वेतन दिये जाने की सुविधा प्रदान की गयी है, जो ''फालतू'' घोषित होने के पूर्व प्राप्त था। *(सामान्य प्रशासन ''पुनर्गठन'' विभाग की राजाज्ञा– सं0–88(1)66, दिनांक 02– 03–1967)*

(ख) फालतू कर्मचारियों के अतिरिक्त एक अन्य वर्ग, जिसे ''छँटनीशुदा'' कर्मचारी कहते हैं, के लिये भी फालतू कर्मचारियों की भाँति निम्नलिखित रीति से वेतन–निर्धारित किये जाने की स्वीकृति शासनादेश संख्या– जी–2–777/दस–142–65, दिनांक 10–12–1973 सपठित शासनादेश संख्या–जी.–2–1762/दस–142 –65, दिनांक 30–08–1975 द्वारा प्रदान की गयी है :–

(1) उक्त शासनादेश दिनांक 10–12–1973 के प्रस्तर–2 के अनुसार– ''फालतू कर्मचारियों'' तथा ''छंटनी शुदा कर्मचारियों'' में अन्तर केवल इतना है कि फालतू कर्मचारियों को राज्य सेवा से तब तक निकाला नहीं जाता, जब तक कि उन्हें दूसरा पद उपलब्ध नहीं करा दिया जाता अथवा इस प्रकार दूसरा पद उपलब्ध कराये जाने पर वे उस पर चले नहीं जाते, जबकि छंटनीशुदा कर्मचारियों के लिये ऐसी कोई सुविधा नहीं है और ज्यों ही उनकी आवश्यकता नहीं होती है, त्यों ही उनकी सेवायें समाप्त कर दी जाती हैं।

(2) उक्त शासनादेश दिनांक 10–12–1973 के प्रस्तर–5 के अनुसार छंटनी किये गये कर्मचारी का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जो राज्यपाल के नियम विधायी नियंत्रण के अधीन किसी सेवा में या किसी पद पर मौलिक, स्थानापन्न या अस्थायी किसी भी रूप में सेवायोजित किया गया

हो, और जिसने कम से कम एक वर्ष की लगातार सेवा की हो, और जिसकी सेवाएँ, अधिष्ठान में कमी किये जाने के कारण समाप्त कर दी जाँय अथवा जिन्हें समाप्त करने के योग्य प्रमाणित किया जाय, किन्तु इसके अन्तर्गत ऐसा व्यक्ति नहीं है, जो तदर्थ आधार पर नियुक्त किया गया हो। यह भी स्पष्ट किया गया है कि तदर्थ आधार पर नियुक्त किया गया व्यक्ति उसे कहा जायेगा, जिसकी नियुक्ति संबंधित सेवा अथवा पद के लिए प्रयोज्य नियमों अथवा आदेशों में निर्धारित प्रक्रिया के अन्तर्गत न की गयी हो। राज्यपाल तदर्थ, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा यह निदेश दे सकते हैं कि किस रीति से और किस प्राधिकारी द्वारा उपर्युक्त प्रमाणपत्र जारी किया जायेगा।

(3) उक्त शासनादेश दिनांक 10–12–1973 के प्रस्तर–3 के अनुसार–

(एक) यदि उनका पूर्व वेतन, उस वेतनक्रम के, जिसमें उन्हें पुनर्नियुक्त किया गया है, न्यूनतम वेतन से कम था, तो उनका वेतन, वेतनक्रम के न्यूनतम वेतन पर निर्धारित किया जाय।

(दो) यदि उनका पूर्व वेतन, उस वेतनक्रम के जिसमें उन्हें पुनर्नियुक्त किया गया है, के न्यूनतम से अधिक था, तो उनका वेतन वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–2, भाग 2 के मूल नियम–27 के अन्तर्गत उसी स्तर पर और यदि वह स्तर न आता हो, तो ठीक निम्न स्तर पर निर्धारित कर दिया जाय और इस प्रकार निर्धारित किये गये और पूर्व में प्राप्त किये गये वेतन में जो अन्तर आये, उसे वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–2 भाग–2 के मूल नियम–19 के साथ पठित मूल नियम–9(23)(बी) के अन्तर्गत वैयक्तिक वेतन के रूप में दिया जाय, जो कि उनकी अगली वेतनवृद्धि में विलीन कर दिया जाय। मूल नियम–27 के अन्तर्गत उन्हें अगली वेतनवृद्धि उसी तिथि से देय होगी, जो छँटनी से पूर्व अवसर पर प्राप्त वेतन स्तर पर की गयी सेवा की गणना करके आती हो।

(तीन) यदि छँटनी से पूर्व कर्मचारी द्वारा आहरित वेतन, उस पद, जिस पर उसे पुनर्नियुक्ति किया गया है, के अधिकतम वेतन से अधिक है, तो उस दशा में भी वेतन के अन्तर को मूल नियम–19 के साथ पठित मूल नियम–9 (23) (बी) के अन्तर्गत वैयक्तिक वेतन के रूप में स्वीकृत किया जायगा, जो कि भविष्य में उसकी पदोन्नति होने के फलस्वरूप बढ़ने वाले वेतन अथवा अन्य किसी भी कारण से बढ़ने वाले वेतन में विलीन कर दिया जायगा।

(चार) कर्मचारी का वेतन प्रत्येक दशा में अर्थात चाहे वह उच्च पद या निम्न पद अथवा समकक्ष पद पर पुनर्नियुक्ति किया गया हो, उपर्युक्त सिद्धान्तों के अनुसार निर्धारित किया जायगा।

(4) उक्त शासनादेश दिनांक 10–12–1973 के ही प्रस्तर–4 के अनुसार छंटनीशुदा कर्मचारियों के सन्दर्भ में वेतन–निर्धारण करने का अधिकार यथानिर्धारित सिद्धान्तों के आधार पर विभागाध्यक्षों को प्रतिनिहित किया गया है किन्तु जो मामले उक्त शासनादेश से अच्छादित न हों, वे शासन के सम्बन्धित विभाग के निर्णयार्थ भेजे जाँय।

(5) उक्त शासनादेश दिनांक 10–12–1973 के ही प्रस्तर–6 के अनुसार छंटनीशुदा कर्मचारियों के सन्दर्भ में वेतन–निर्धारण की सुविधा निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अन्तर्गत ही अनुमन्य होगी :–

(क) यह सुविधा तभी अनुमन्य होगी, जब कि पुराने पद से हटने तथा नये पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि में 5 वर्ष से अधिक की अवधि व्यतीत न हुई हो।

(ख) यह सुविधा उन कर्मचारियों को नहीं दी जायेगी, जो डिसमिसल, रिमूवल अथवा त्यागपत्र देने के पश्चात् सेवा में पुनर्नियुक्त किये गये हों।

(ग) यह सुविधा उन कर्मचारियों को भी उपलब्ध न होगी, जिन्हें नोटिस देकर निकाला गया हो। उदाहरणार्थ– जिन्हें मूल नियम–56 या सी.एस.आर के अनुच्छेद–436 के अन्तर्गत नोटिस दिया गया हो, इत्यादि।

(6) उपर्युक्त शासनादेश संख्या– जी.–2–1762/दस–142–65, दिनांक 30–08–1975 में निहित प्रतिबन्धों के अनुसार छंटनीशुदा कर्मचारियों को, इस प्रसंग मे निर्गत उक्त शासनादेश दिनांक

10–12–1973 के पूर्व की अवधि अर्थात दिनांक 09–12–1973 तक की अवधि का यथास्थिति कोई अवशेष वेतन आदि देय नहीं होगा।

6.7 समान वेतनक्रम के पद पर नियुक्ति/पदोन्नति पर वेतन निर्धारण

यदि नियुक्ति/पदोन्नति, ऐसे पद पर की जाती है, जिसका वेतनमान वही है, जो कि सावधिक (Tenure) पद से भिन्न उस पद का है, जिसको सरकारी सेवक अपनी पदोन्नति/नियुक्ति के समय नियमित आधार या समान वेतनमान पर धारण करता है, तो यह नहीं समझा जायगा कि ऐसी नियुक्ति/पदोन्नति में अधिक महत्वपूर्ण कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व निहित है। ऐसी दशा में सेवक का वेतन प्रश्नगत नियुक्ति के पद पर उसी स्तर पर निर्धारित किया जायगा, जो वेतन वह समान वेतनमान वाले पूर्व पद पर प्राप्त कर रहा था किन्तु पूर्व पद पर समान वेतन–स्तर पर की गयी सेवा की गणना वेतनवृद्धि के प्रयोजन से की जायगी।
(शासनादेश संख्या–जी–2–604/दस–97–312–97, दिनांक 22–07–1997 सपठित शासनादेश संख्या– जी–1 –263/दस–143–1965, दिनांक 28–02–1966 के प्रस्तर–4 का उप प्रस्तर–4)

6.8 एक पद से दूसरे पद, जो अधिक कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व का न हो, पर नियुक्ति होने पर वेतन–निर्धारण *अधिसूचना संख्या–जी–2–16/दस–98–303/96, दिनांक 02–07–1998 द्वारा दिनांक 16–09–1989 से यथा संशोधित मूल नियम–22 (क)(दो)* के अनुसार–

(क) नये पद के वेतनमान में प्रारम्भिक वेतन, उसके द्वारा नियमित रूप से धारित पुराने पद के सम्बन्ध में उसे देय वेतन के बराबर निर्धारित किया जायगा और यदि ऐसा कोई (समान) प्रक्रम न हो तो नियमित रूप से धारित पुराने पद के सम्बन्ध में उसे देय वेतन के अगले प्रक्रम पर निर्धारित किया जायगा, प्रतिबन्ध यह है कि जहाँ नये पद के वेतनमान का न्यूनतम वेतन उसके द्वारा नियमित रूप से धारित पद के सम्बन्ध में, उसके वेतन से अधिक हो, तो नये पद के प्रारम्भिक वेतन के रूप में, न्यूनतम वेतन निर्धारित होगा,

प्रतिबन्ध यह भी है कि ऐसे मामले में जहाँ नये पद पर वेतन उसी प्रक्रम पर अर्थात् पूर्व पद के वेतन के बराबर निर्धारित होता है, तो वह वही वेतन, उस समय तक आहरित करता रहेगा, जब तक कि उसे पुराने पद के वेतन के समयमान में एक वेतनवृद्धि प्राप्त न हो जाय अर्थात सामान्यतया वेतन–वृद्धि की देयता यथावत् रहेगी किन्तु ऐसे मामलों में जहाँ वेतन उच्च प्रक्रम पर निर्धारित होता है, अगली वेतन–वृद्धि उस अवधि को पूरा करने पर, जब उसे नये पद के वेतन के समयमान में एक वेतनवुद्धि अर्जित हो जाय, पायेगा।

(ख) निःसम्वर्गीय पद पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के अतिरिक्त किसी अन्य पद पर नियमित रूप से नियुक्त होने पर सरकारी सेवक को ऐसी नियुक्ति की तिथि से एक माह के अन्दर यह विकल्प प्रयोग करने का अधिकार होगा कि वह नये पद पर वेतन–निर्धारण के लिए अपना वेतन उस पद पर नियुक्ति की तिथि से या पुराने पद पर होने वाली वेतनवृद्धि की तिथि से निर्धारित करा ले।

6.9 किसी निम्न वेतनमान के पद पर सरकारी सेवक की लिखित प्रार्थना पर मूल नियम 15(क) के अन्तर्गत नियुक्ति किये जाने पर वेतन–निर्धारण

यदि निम्न वेतनमान के पद, जिस पर उसकी नियुक्ति मूल नियम–15(क) के अधीन उसके अनुरोध पर की गयी है, के वेतनमान का अधिकतम उसके पूर्व पद के मौलिक वेतन से कम हो तो वह मूल नियम–22(क) (तीन) के अनुसार प्रारम्भिक वेतन के रूप में उस अधिकतम वेतन को ही आहरित करेगा।

6.10 ऐसे पद, जिसके कर्तव्य एवं दायित्व पूर्व पद की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण हैं, पर नियुक्ति/पदोन्नति पर वेतन–निर्धारण

नियम / शासनादेश	प्रक्रिया– मूल नियम 22–बी
मूल नियम 22 (क) (एक) एवं 22–बी शासनादेश संख्या जी–2–724 / दस–88–303 / 88 दिनांक 17–09–1988	(1) दिनांक 01–01–1988 से सरकारी सेवकों की समस्त श्रेणियो पर मूल नियम 22–बी की प्रक्रिया लागू है––
	(क) कोई सरकारी सेवक किसी पद पर स्थायी, अस्थाई अथवा स्थानापन्न रूप से कार्यरत हो, उसको पदोन्नति अथवा नियुक्ति स्थायी, अस्थायी अथवा स्थानापन्न रूप से ऐसे पद पर होती है, जिसके कर्तव्य एवं दायित्व पूर्व पद की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण हों, तो उच्च पद पर प्रारम्भिक वेतन, निम्न पद पर देय वेतन में आगामी वेतनवृद्धि के बराबर धनराशि नोशनल (काल्पनिक) वृद्धि जोड़कर जो धनराशि होगी, उसके अगले उच्च स्तर पर, निर्धारित किया जायेगा।
शासनादेश सं0–सा–2–1454 / दस–301 / 81 दिनांक 30–10–1981	(ख) यदि कोई सरकारी सेवक निम्न पद (पूर्व पद) के वेतनमान में अधिकतम वेतन प्राप्त कर रहा हो तो उसके पूर्व प्राप्त वेतनवृद्धि की धनराशि नोशनल (काल्पनिक) वृद्धि के रूप में जोड़कर जो धनराशि आये, उसके अगले उच्च स्तर पर उच्च पद के वेतनमान में वेतन निर्धारित होगा।
शासनादेश संख्या जी–2–854 / दस–333 / 88 दिनांक 17–09–1988	(ग) यदि सरकारी सेवक चाहे, तो मूल नियम 22–बी की उक्त प्रक्रिया के अनुसार वेतन–निर्धारण उच्च पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि अथवा निम्न पद पर वेतनवृद्धि की तिथि से करा सकता है। इस आशय का विकल्प पदोन्नति की तिथि से एक माह के अन्दर दे देना चाहिए अन्यथा पदोन्नति की तिथि से वेतन निर्धारण कर दिया जाना चाहिये।
	(2) उपर्युक्त नियमों–शासनादेशों के परिप्रेक्ष्य में इसी प्रकार से दिनांक 01–01–2006 से लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना में भी दिनांक 01–01–2006 को या उसके बाद एक ग्रेड वेतन से दूसरे ग्रेड वेतन में पदोन्नति की स्थिति में वेतन–निर्धारण की व्यवस्था शासनादेश संख्या– वे0आ0–2–1318 / दस–59 (एम) / 2008, दिनांक 08–12–2008 (प्रस्तर–11) सपठित शासनादेश संख्या– जी–2– 212 / दस–2009–333 / 86, दिनांक 03–03–2009 (विकल्पानुसार निम्नवत् की गयी है–)
	(क) वेतन बैण्ड में वेतन तथा वर्तमान ग्रेड वेतन के योग की 03 प्रतिशत धनराशि को अगले 10 में पूर्णांकित करते हुये एक वेतनवृद्धि के रूप में आगणित किया जायगा। तदनुसार आगणित वेतनवृद्धि की धनराशि वेतन बैण्ड में प्राप्त वर्तमान वेतन में जोड़ी जायगी। इस प्रकार प्राप्त धनराशि पदोन्नति के पद के ''वेतनबैण्ड में वेतन'' होगी, जिसके साथ पदोन्नति पद का ''ग्रेड वेतन'' देय होगा।
	(ख) जहाँ पदोन्नति में वेतन बैण्ड में परिवर्तन हुआ हो, वहाँ भी इसी पद्धति का पालन किया जायगा तथापि वेतनवृद्धि जोड़ने के बाद भी यदि वेतनबैण्ड में आगणित वेतन पदोन्नति वाले पद के उच्च वेतन बैण्ड के न्यूनतम से कम हो, तो तदनुसार आगणित वेतन को उक्त वेतनबैण्ड में न्यूनतम के बराबर तक बढ़ा दिया जायगा।
	(ग) उल्लेखनीय है कि उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 03–03–2009 के अनुसार मूल नियम–23(1) के अन्तर्गत सम्बन्धित कार्मिक द्वारा वेतन–निर्धारण हेतु यथा प्रक्रिया प्रस्तुत ''विकल्प'' की स्थिति में वेतन–निर्धारण निम्नवत् किया जायगा–
	(एक) यदि संबंधित सरकारी सेवक पदोन्नति पर निम्न पद की वेतनवृद्धि की तिथि से वेतन निर्धारण हेतु विकल्प देता है, तो पदोन्नति की तिथि को वेतनबैण्ड में वेतन अपरिवर्तित रहेगा, किन्तु उच्च पद का ग्रेड वेतन अनुमन्य होगा और अगली वेतनवृद्धि की तिथि अर्थात 01 जुलाई को वेतन पुनर्निर्धारित होगा। इस तिथि

को संबंधित सेवक का दो वेतनवृद्धियाँ, एक वार्षिक वेतनवृद्धि तथा दूसरी'– पदोन्नति के फलस्वरूप देय होगी। इन दोनों वेतन–वृद्धियों की गणना हेतु पदोन्नति की तिथि के पूर्व का मूल वेतन लिया जायेगा। उदाहरणस्वरूप, यदि पदोन्नति के पूर्व तिथि को मूल वेतन ₹100 था, तो प्रथम वेतनवृद्धि ₹100 पर तथा द्वितीय वेतनवृद्धि की गणना ₹103 पर की जायेगी।

(दो) यदि सरकारी सेवक पदोन्नति की तिथि से वेतन–निर्धारण हेतु विकल्प देता है तो उस सरकारी सेवक का वेतन शासनादेश संख्या– वे0आ0–1318/दस–59 (एम)/2008, दिनांक 08–12–2008 के प्रस्तर–11 में निहित प्रक्रियानुसार निर्धारित किया जायेगा किन्तु उल्लेखनीय है कि यदि सरकारी सेवक की पदोन्नति दिनांक 02 जुलाई से 01 जनवरी तक हुयी है, तो उसे अगली वेतनवुद्धि अनुवर्ती 01 जुलाई को देय होगी।

उदाहरण– किसी सरकारी सेवक की पदोन्नति यदि 02 जुलाई, 2006 से 01 जनवरी, 2007 तक हुयी है, तो उसे अगली वेतनवृद्धि 01 जुलाई, 2007 को देय होगी और यदि पदोन्नति किसी वर्ष में 02 जनवरी से 30 जून तक हुयी है, तो उसे अगली वेतनवृद्धि अगले वर्ष की पहली जुलाई को देय होगी।

उदाहरण– किसी सरकारी सेवक की पदोन्नति यदि 02 जनवरी, 2006 से 30 जून, 2006 तक हुयी है, तो उसे अगली वेतन वृद्धि 01 जुलाई, 2007 को देय होगी।

(3) शासनादेश संख्या– वे0आ0–2–287/दस–59(एम)/08 दिनांक 16–03–2010 द्वारा अपनुरीक्षित वेतनमान ₹22,400–24,500 के लिये दिनांक 01–01–2006 से लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना में सादृश्य वेतन बैण्ड–4 (₹37,400–67,000) एवं ग्रेड वेतन ₹12,000 के स्थान पर एच0ए0जी0 वेतनमान ''₹67,000–वार्षिक वेतनवृद्धि 03 प्रतिशत की दर से ₹79,000'' संशोधित रूप में स्वीकृत किये जाने परन्तु इसमें पदोन्नति वेतन पर वेतन–निर्धारण की व्यवस्था उक्त शासनादेश के सुसंगत प्रस्तर–11 में स्पष्ट न होने की दशा में अग्रेतर शासनादेश संख्या– वे0आ0–2–567/दस–59 (एम)/08 टी0सी0, दिनांक 09–06–2010 (प्रस्तर–3) द्वारा ग्रेड वेतन ₹10,000 के पद के पदधारकों की पदोन्नति उक्त एच0ए0जी0 वेतनमान में होने पर वेतन–निर्धारण की व्यवस्था निम्नवत् की गयी है–

''वेतन बैण्ड–4 में बैण्ड वेतन तथा ग्रेड वेतन के योग की 03 प्रतिशत धनराशि को अगले 10 के गुणांक में पूर्णांकित करते हुये एक वेतनवृद्धि के रूप में आगणित किया जायगा। इस प्रकार आगणित वेतनवृद्धि की धनराशि वेतन बैण्ड–4 में प्राप्त वर्तमान (बैण्ड वेतन तथा ग्रेड वेतन का योग) में जोड़ दी जायगी। इस प्रकार आगणित धनराशि में ₹2,000 की धनराशि जोड़ते हुये एच0ए0जी0 वेतनमान में सम्बन्धित का वेतन इस प्रतिबन्ध के साथ निर्धारित किया जायेगा कि उक्त निर्धारित वेतन किसी भी दशा में ₹67,000 से कम नहीं होगा परन्तु एच0ए0जी0 वेतनमान के अधिकतम ₹79,000 से अधिक भी नहीं होगा।''

6.11 पूर्वगामी तिथि से (काल्पनिक/सैद्धान्तिक/नोशनल/प्रोफार्मा) पदोन्नति होने पर वेतन निर्धारण

(क) सामान्यतया जहाँ पद–रिक्ति की तिथि से पदोन्नति किये जाने की कोई विधिक बाध्यता नहीं है, वहीं यदि किसी विशेष स्थिति में सम्यक् विचारोपरान्त सक्षम प्राधिकारी के समुचित आदेश द्वारा किसी प्रकरण विशेष में पूर्वगामी तिथि से पदोन्नति का लाभ दिया जाय, तो ऐसी नोशनल प्रोन्नति के फलस्वरूप चाहे वेतन– अवशेष दिया जाना हो अथवा नहीं, प्रोन्नति के पद से

सम्बद्ध वेतन की अनुमन्यता हेतु वेतन के निर्धारण के लिये कार्मिक अनुभाग–1 से निर्गत शासनादेश संख्या–13/21/89–का–1–1997, दिनांक 28–05– 1997 के प्रस्तर–2 के उप प्रस्तर–(8) एवं (9) सपठित **"टिप्पणी"** में निहित प्रावधान निम्नवत् हैं–

(1) यदि किसी कार्मिक को नोशनल प्रोन्नति दी जाती है, तो उसका वेतन मूल नियम–27 के अन्तर्गत **वित्त विभाग की सहमति से** उसी स्तर पर निर्धारित किया जायेगा जो उससे सम्बन्धित चयन समिति की संस्तुति के आधार पर समय से अर्थात आसन्न कनिष्ठ के प्रोन्नति होने की तिथि से होने पर मिलता। *(उक्त शासनादेश दिनांक 28–05–1997 के प्रस्तर–1 का उप प्रस्तर–8)*

(2) नोशनल प्रोन्नति व वास्तविक प्रोन्नति की तिथियों के मध्य की अवधि के लिये, उक्त नोशनल प्रोन्नति के परिणामस्वरूप अनुमन्य एरियर का भुगतान किये जाने या न किये जाने तथा भुगतान की सीमा निर्धारित करने के सम्बन्ध में नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अपने विवेक से सभी तथ्यों एवं परिस्थितियों पर समुचित रूप से विचार करके निर्णय लिया जायेगा। जिन मामलों में वेतन के ऐसे एरियर के सम्पूर्ण अथवा उसके किसी भाग का भुगतान नहीं किये जाने का निर्णय हो, तो ऐसा निर्णय लिये जाने के कारणों को इस विषय में पारित आदेशों में लिपिबद्ध किया जायेगा।

टिप्पणी– उन दशाओं का पूर्ण अनुमान लगाया जाना तथा उन्हें विस्तृत रूप से निरूपित करना सम्भव नहीं है, जिसके अन्तर्गत वेतन अथवा उसके किसी अंश के एरियर के भुगतान से इनकार किया जाना आवश्यक हो। ऐसे भी मामले हो सकते हैं, जहाँ कार्यवाही में, चाहे यह कार्यवाही अनुशासनिक अथवा आपराधिक स्वरूप की ही हो, सम्बन्धित कार्मिक के कारण देरी हुई हो अथवा अनुशासनिक कार्यवाही के निस्तारण में या आपराधिक कार्यवाही में दोषमुक्ति संदेह के लाभ के कारण हो या साक्ष्य उपलब्ध न होने के कारण हो, जिन्हें कर्मचारी के कृत्य माना गया हो। ये कुछ ऐसी परिस्थितियाँ हैं, जिनके कारण ऐसी अस्वीकृति को न्यायोचित ठहराया जा सकता है। (उक्त शासनादेश के प्रस्तर–1 का उप प्रस्तर–9 सपठित ''टिप्पणी'')

(ख) उल्लेखनीय है कि नोशनल पदोन्नति से सम्बन्धित वेतन–निर्धारण के आदेश में सामान्यतया वेतन–निर्धारण का उल्लेख उसी तिथि से किया जाना उचित है, जबसे तदनुसार वास्तविक भुगतान किया जाना है, किन्तु इस आशय से निर्धारित होने वाले वेतन का आगणन यथा इंगित नोशनल पदोन्नति की पूर्वगामी तिथि से ही किया जाना चाहिये। ऐसे वेतन–निर्धारण आदेश में भी वास्तविक भुगतान की तिथि सुस्पष्ट होनी चाहिये, ताकि यदि "एरियर" देय नहीं है, तो उसके भुगतान में **चूक** की संभावना न रहे।

6.12 समयमान वेतनमान की व्यवस्था, जो दिनांक 30–11–2008 तक लागू रही है, के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी/नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा निर्गत स्वीकृति–आदेश के क्रम में वेतन–निर्धारण

(क) समयमान वेतनमान की व्यवस्था के अन्तर्गत वैयक्तिक रूप से अनुमन्य सेवा–लाभ के फलस्वरूप सम्बन्धित कार्मिक द्वारा धारित ''पद की प्रास्थिति'' में कोई परिवर्तन नहीं होता है।

(ख) वस्तुतः तत्समय धारित पद पर ही रहते हुये यथासमय प्रभावी रहे सुसंगत शासनादेशों के अनुसार निर्धारित प्रतिबन्धों के अधीन सक्षम प्राधिकारी/नियुक्ति प्राधिकारी के स्तर से निर्गत आदेशों द्वारा से0ग्रेड/समयमान वेतनमान के लाभ के अन्तर्गत ''अतिरिक्त वेतनवृद्धि अथवा वैयक्तिक रूप में अनुमन्य समयमान वेतनमान/अगले वेतनमान/प्रोन्नति वेतनमान (यथास्थिति) में अगले उच्च प्रक्रम स्तर पर (मूल नियम–22(a)(i) में निहित प्रक्रियानुसार) वेतन निर्धारित किये जाने की सामान्य व्यवस्था तत्कालीन शासनादेशों में रही है।

(ग) समयमान वेतनमान के प्रसंग में वेतन–निर्धारण के लिये ''विकल्प'' चुनने की व्यवस्था नहीं रही है, बल्कि किसी समय–बिन्दु (अगली वेतनवृद्धि तिथि) पर अनुमन्य वेतन कम अथवा बराबर हो जाने की दशा–विशेष में वेतन के पुनः निर्धारित किये जाने की व्यवस्था अवश्य रही है।

(घ) दिनांक 01–01–1996 से लागू वेतन संरक्षण के समयमान की व्यवस्था के प्रसंग में शासनादेश संख्या– वे0आ0–2–560/दस–45(एम)/99, दिनांक 02–12–2002 एवं उसके क्रम में जारी विभिन्न शासनादेश तथा स्पष्टीकरण विषयक शासनादेश संख्या– वे0आ0–2–257/दस–2004–45(एम)–99, दिनांक 20–08– 2004 अवलोकनीय हैं।

(ड़) दिनांक 01–01–2006 से लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना में सभी वेतनबैण्ड एवं ग्रेड वेतन के पदधारकों हेतु समयमान वेतनमान की पूर्व व्यवस्था ही दिनांक 30–11–2008 तक शासनादेश संख्या– वे0आ0–2–561 /दस–62(एम)/2008, दिनांक 04–05–2010 प्रस्तर–1(1) के अनुसार यथावत् लागू रखी गयी है और प्रस्तर–2 में समयमान वेतनमान के अन्तर्गत देय लाभ निम्नानुसार अनुमन्य कराये जाने की व्यवस्था है :–

(1) 08 वर्ष एवं 19 वर्ष की सेवा के आधार पर देय अतिरिक्त वेतनवृद्धि की धनराशि की गणना सम्बन्धित पदधारक को तत्समय अनुमन्य मूल वेतन (बैण्ड वेतन + ग्रेड वेतन) के 3 प्रतिशत की दर से आगणित धनराशि को अगले 10 रूपये में पूर्णांकित करते हुए की जायेगी। सम्बन्धित कर्मचारी को **अगली सामान्य वेतनवृद्धि अगली पहली जुलाई को देय होगी।**

(2)(i) 14 वर्ष एवं 24 वर्ष की सेवा के आधार पर क्रमशः प्रथम अथवा द्वितीय प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान के रूप में देय वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन अनुमन्य होने पर अनुमन्यता की तिथि की सम्बन्धित कार्मिक का वेतन प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान के रूप में देय ग्रेड वेतन अनुमन्य करते हुए निर्धारित किया जायेगा और बैण्ड वेतन अपरिवर्तित रहेगा। उक्तानुसार निर्धारित बैण्ड वेतन यदि उस ग्रेड वेतन में सीधी भर्ती हेतु निर्धारित न्यूनतम बैण्ड वेतन से कम होता है तो सम्बन्धित पदधारक का बैण्ड वेतन उस सीमा तक बढ़ा दिया जायेगा।

(ii) प्रथम एवं द्वितीय प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान के रूप में अनुमन्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन में सम्बन्धित पदधारक को अगली वेतन वृद्धि न्यूनतम छः माह की अवधि के उपरान्त पड़ने वाली पहली जुलाई को ही देय होगी,

परन्तु, प्रथम अथवा द्वितीय प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान के रूप में अनुमन्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन में अगली पहली जुलाई को किसी अधिकारी/कर्मचारी का मूल वेतन उसे यथास्थिति पद के वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन अथवा प्रथम प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान के रूप में अनुमन्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन में निर्धारित मूल वेतन की तुलना में कम या बराबर हो जाय, तो यथास्थिति प्रथम प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान अथवा द्वितीय प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान के रूप में अनुमन्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन में एक अतिरिक्त वेतनवृद्धि स्वीकृत करते हुए मूल वेतन पुनर्निर्धारित किया जायेगा।

(iii) वेतन बैण्ड ₹15,600–39,100 एवं ग्रेड वेतन ₹5,400 तथा उससे उच्च वेतन बैण्ड अथवा ग्रेड वेतन के पदों पर समयमान वेतनमान/सेलेक्शन ग्रेड अनुमन्य होने पर भी उक्त शासनादेश दिनांक 04–05–2010 पूर्व उपप्रस्तर (2)(i) तथा 2(ii) में निर्धारित (उपर्युक्त) व्यवस्था के अनुसार ही कार्यवाही की जायेगी।

(3) संवर्ग में वरिष्ठ कार्मिक को समयमान वेतनमान की पूर्व व्यवस्था के अन्तर्गत देय लाभ अपुनरीक्षित वेतनमानों में अनुमन्य होने तथा कनिष्ठ कार्मिक को वही लाभ पुनरीक्षित वेतन संरचना में अनुमन्य होने के फलस्वरूप यदि वरिष्ठ कार्मिक का वेतन कनिष्ठ की तुलना में कम हो जाता है तो सम्बन्धित तिथि को वरिष्ठ कार्मिक का वेतन कनिष्ठ को अनुमन्य वेतन के बराबर निर्धारित कर दिया जायेगा।

(4) ऐसे मामलों में जहाँ किसी कारणवश प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान के रूप में अनुमन्य सादृश्य वेतनबैण्ड एवं ग्रेड वेतन में परिवर्तन होता है, तो समयमान वेतनमान व्यवस्था के अधीन प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान भी तद्नुसार परिवर्तित रूप में ही अनुमन्य होगा,

परन्तु, उक्त परिवर्तन के फलस्वरूप यदि प्रोन्नतीय/अगला वेतनमान उच्चीकृत होता है तो ऐसे उच्चीकरण की तिथि से उच्च प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान के सादृश्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन अनुमन्य होगा। समयमान वेतनमान की व्यवस्था में पूर्व से अनुमन्य प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान का संशोधन भी तदनुसार किया जायेगा। प्रोन्नतीय/अगला वेतनमान निम्नीकृत होने की दशा में पूर्व से अनुमन्य प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान के सादृश्य ग्रेड वेतन यथावत् अनुमन्य रहेगा।

(च) उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 04–05–2010 के प्रस्तर–2, जो दिनांक 30–11–2008 तक लागू समयमान वेतनमान की पूर्व व्यवस्था से सम्बन्धित है, में निहित उपर्युक्तानुसार व्यवस्था के नीचे अंकित टिप्पणी में सन्दर्भित संलग्नक–1 में उल्लिखित उदाहरण निम्नवत् है–

उदाहरण–1 :– वेतनमान ₹4,000–6,000 (पुनरीक्षित वेतन संरचना में सादृश्य वेतन बैण्ड–1 एवं ग्रेड वेतन ₹2,400) के पद पर कार्यरत कार्मिक को 14 वर्ष की सेवा के आधार पर उपर्युक्त पद हेतु उपलब्ध पदोन्नति के पद का वेतनमान ₹4,500–7,000 (पुनरीक्षित वेतन संरचना में सादृश्य वेतन बैण्ड–1 एवं ग्रेड वेतन ₹2,800) अनुमन्य हुआ। तदोपरान्त पदोन्नति के पद का वेतनमान संशोधित करते हुए ₹5,000–8,000 (पुनरीक्षित वेतन संरचना में सादृश्य वेतन बैण्ड–2 एवं ग्रेड वेतन ₹4,200) का संशोधित/उच्चीकृत वेतनमान अनुमन्य कराया गया। फलस्वरूप उपर्युक्त कार्मिक को पूर्व से स्वीकृत प्रोन्नतीय वेतनमान ₹4,500–7,000 (पुनरीक्षित वेतन संरचना में सादृश्य वेतन बैण्ड–1 एवं ग्रेड वेतन ₹2,800) के स्थान पर पदोन्नतीय पद के वेतनमान में संशोधन /उच्चीकरण के दिनांक से संशोधित/उच्चीकृत वेतनमान ₹5,000–8,000 (पुनरीक्षित वेतन संरचना में सादृश्य वेतन बैण्ड–2 एवं ग्रेड वेतन ₹4,200) वैयक्तिक रूप से अनुमन्य होगा।

उदाहरण–2(I) :– वेतनमान ₹5,000–8,000 (पुनरीक्षित वेतन संरचना में सादृश्य वेतन बैण्ड–2 एवं ग्रेड वेतन ₹4,200) के लिए **पदोन्नति का पद उपलब्ध नहीं है।** उपर्युक्त पद पर कार्यरत पदधारक को 14 वर्ष के आधार पर प्रथम वैयक्तिक **अगले वेतनमान के रूप में** ₹5,500–9,000 (पुनरीक्षित वेतन संरचना में सादृश्य वेतन बैण्ड– 2 एवं ग्रेड वेतन ₹4,200) अनुमन्य हुआ और इस प्रकार दिनांक 01 जनवरी, 2006 से पद के वेतनमान तथा समयमान वेतनमान के अन्तर्गत वैयक्तिक रूप से अनुमन्य वेतनमान के लिए समान वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन अनुमन्य होने की स्थिति बन रही है। जबकि पदोन्नति का पद उपलब्ध न होने के कारण यथा प्रक्रिया सम्बन्धित पद पर दिनांक 01 जनवरी, 2006 से **14 वर्ष के आधार पर प्रथम अगले वेतनमान के रूप में** अब पुनरीक्षित वेतन संरचना में भी दिनांक 30–11–2008 तक पूर्ववत समयमान वेतनमान की व्यवस्था लागू हो जाने की दशा में सम्बन्धित पद के अपुनरीक्षित वेतनमान के सादृश्य वेतन बेण्ड–2 एवं ग्रेड वेतन ₹4,200 से अगला वेतन बेण्ड एवं ग्रेड वेतन ₹4,600 अनुमन्य होना चाहिये। फलस्वरूप उक्त कार्मिक को पूर्व से प्रथम अगले वेतनमान के रूप में अनुमन्य ₹5,500–9,000 (पुनरीक्षित वेतन संरचना में सादृश्य वेतन बैण्ड–2 एवं ग्रेड वेतन ₹4,200) के स्थान पर दिनांक 01 जनवरी, 2006 से वेतन बैण्ड–2 एवं ग्रेड वेतन ₹4,600 अनुमन्य होगा।

उदाहरण–2(II) :– इसी प्रकार वेतनमान ₹5,000–8,000 (पुनरीक्षित वेतन संरचना में सादृश्य वेतन बैण्ड–2 एवं ग्रेड वेतन ₹4,200) के उपर्युक्त पद पर कार्यरत पदधारक को 24 वर्ष के आधार पर **द्वितीय अगले वेतनमान** के रूप में ₹6,500–10,500 (पुनरीक्षित वेतन संरचना में सादृश्य वेतन बैण्ड–2 एवं ग्रेड वेतन ₹4,600) अनुमन्य हुआ किन्तु जब उपर्युक्त उदाहरण–2(I) के अनुसार दिनांक 01 जनवरी 2006 से उपर्युक्त पद पर पुनरीक्षित वेतन संरचना में प्रथम अगले वेतनमान के रूप में वेतन बैण्ड–2 एवं ग्रेड वेतन ₹4,600 अनुमन्य है तो अब उक्त स्थिति में ऐसे पद पर जहाँ पदोन्नति का पद उपलब्ध नहीं है, 24 वर्ष पर द्वितीय अगले वेतनमान के रूप में, वेतन बैण्ड–2 एवं ग्रेड वेतन ₹4,600, (प्रथम अगला वेतनमान) से अगला वेतन बैण्ड–2 एवं ग्रेड वेतन ₹4,800 अनुमन्य होने की स्थिति बन रही है। फलस्वरूप उक्त कार्मिक को पूर्व से द्वितीय अगले वेतनमान के रूप में अनुमन्य ₹6,500–10,500 (पुनरीक्षित वेतन संरचना में सादृश्य वेतन बैण्ड–2 एवं ग्रेड वेतन ₹4,600)

के स्थान पर दिनांक 01 जनवरी, 2006 से अगला वेतन बैण्ड–2 एवं ग्रेड वेतन ₹4,800 अनुमन्य होगा।

(छ) उक्तानुसार अनुमन्य उच्च प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान के सादृश्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन में सम्बन्धित कार्मिक का वेतन–निर्धारण पुनरीक्षित वेतन संरचना में दिनांक 01–01–2006 से शासनादेश संख्या– वे0आ0–2–1318/दस–59(एम)/2008, दिनांक 08 दिसम्बर, 2008 तथा तत्क्रम में समय–समय पर निर्गत शासनादेशों की व्यवस्थानुसार किया जायेगा।

6.13 समयमान वेतनमान की अनुमन्य के पश्चात वास्तविक रूप में पदोन्नति पर वेतन निर्धारण–

(क) समयमान वेतनमान की पूर्व व्यवस्था के अन्तर्गत प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान अथवा समयमाान वेतनमान/ सेलेक्शन ग्रेड अनुमन्य होने के उपरान्त उसी वेतनमान के पद पर पदोन्नति की दशा में वेतन–निर्धारण की व्यवस्था पूर्व के शासनादेश स्पष्टीकरण में उपलब्ध रही है। इस प्रसंग में उपर्युक्त शासनसादेश दिनांक 02–12–2000 के सुसंगत प्रस्तर–2(9) के अनुसार वेतन–निर्धारण हेतु मूल नियम 22–बी के प्रावधान, लाभ नहीं होंगे, बल्कि मूल नियम–22 (ए)(i) में निहित प्रक्रियानुसार अगले उच्च प्रक्रम पर वेतन–निर्धारण किये जाने के निर्देश रहे हैं। बाद में यदि किसी समय–बिन्दु पर पदोन्नति पद पर अनुमन्य वेतन, उस वेतन के बराबर अथवा कम हो जाय, जो उसे पदोन्नति न होने पर मिलता, तो ऐसी विशेष दशा में ही उस समय बिन्दु पर वेतन के अगले स्तर पर पुनर्निर्धारण की व्यवस्था पूर्व के शासनादेश सं0– वे0आ0–1–219/दस–99(एम)/89, दिनांक 23–08–1994 के प्रस्तर–4 के अनुसार अग्रेतर शासनादेश संख्या– वे0आ0–2–1375/दस–2002–45 (एम)/99 टी0सी0, दिनांक 28–08–2002 द्वारा की गयी है।

(ख) समयमान वेतनमान की स्वीकृति से सम्बन्धित स्पष्टीकरण विषयक शासनादेश संख्या– वे0आ0–2–257/ दस–2004–45(एम)/99, दिनांक 20–08–2004 के संलग्नक में संदर्भ बिन्दु–4 पर सुस्पष्ट किया कि यदि द्वितीय प्रोन्नतीय/अगला वेतनमान अनुमन्य होने के उपरान्त किसी कर्मचारी/अधिकारी की पदोन्नति वैयक्तिक रूप से अनुमन्य द्वितीय प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान से निम्न वेतनमान वाले पद (प्रथम पदोन्नति के पद) पर होती है, तो प्रोन्नति के पद पर वह पूर्व से अनुमन्य अपने द्वितीय प्रोन्नतीय/अगले वैयक्तिक वेतनमान में ही बना रहेगा, क्योंकि उक्त दशा में उसका वेतन–निर्धारण नहीं किया जायेगा और उसे वही उच्चतर वेतन/वैयक्तिक वेतनमान अनुमन्य रहेगा, जो वह अपनी प्रोन्नति के पहले से प्राप्त कर रहा था।

(ग) दिनांक 01–01–2006 से लागू पुनरीक्षित वेतन–संरचना के प्रसंग में भी ए0सी0पी0 विषयक शासनादेश संख्या– वे0आ0–2–561/दस–62(एम)/2008, दिनांक 04–05–2010 में दिनांक 30–11–2008 तक पुनरीक्षित वेतन–संरचना में पूर्ववत प्रभावी की गयी समयमान वेतनमान की व्यवस्था से सम्बन्धित प्रस्तर–2 के उप प्रस्तर (चार) के अनुसार समयमान वेतनमान की पूर्व व्यवस्था के अन्तर्गत प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान अथवा समयमान वेतनमान/से0ग्रेड अनुमन्य होने के उपरान्त सम्बन्धित कर्मचारी की पदोन्नति वैयक्तिक रूप से अनुमन्य उसी वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन के पद पर होने की स्थिति में वेतन का निर्धारण 03 प्रतिशत की दर से एक वेतन–वृद्धि देते हुये किया जायगा और अगली सामान्य वेतन–वृद्धि अगली पहली जुलाई को देय होगी।

6.14 दिनांक 01–12–2008 से लागू सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन (ए0सी0पी0) की अनुमन्यता पर वेतन–निर्धारण

(क) शासनादेश संख्या– वे.आ.–2–561/दस–62 (एम)/2008, दिनांक 04–05–2010 तथा उसके क्रम में अग्रेतर निर्गत शासनसादेश–स्पष्टीकरण जैसे संख्या–वे0आ0–2–253/दस–62

(एम)/2008टी0सी0 दिनांक 17–02–2011, संख्या–वे0आ0–2–798/दस–62 (एम)/2008, दिनांक 30–05–2011 एवं अवर अभियन्ताओं के सम्बन्ध में संख्या–वे0आ0–2–796/दस–62 (एम)/2008टी0सी0 दिनांक 31–05–2011 द्वारा दिनांक 01–12–2008 से राज्य सेवकों के सम्बन्ध में लागू की गयी ए0सी0पी0 की व्यवस्था के अन्तर्गत यथानिर्धारित प्रक्रियानुसार सक्षम प्राधिकारी/नियुक्ति प्राधिकारी के स्तर से निर्गत स्वीकृति– आदेश द्वारा वित्तीय स्तरोन्नयन (ए0सी0पी0) अनुमन्य होने पर वेतन–निर्धारण उक्त शासनादेश दिनांक 04–05–2010 के ही **प्रस्तर–4 में सन्दर्भित संलग्नक–2** में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार किया जायगा।

(ख) उक्त शासनादेश दिनांक 04–05–2010 के संलग्नक–2 में उल्लेख है कि प्रश्नगत वेतन–निर्धारण वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–2, भाग 2 से 4 के मूल नियम 22 बी (1) के अनुसार किया जायगा और सम्बन्धित कार्मिक को मूल नियम–23 (1) के अन्तर्गत यह विकल्प होगा कि वह अपना वेतन–निर्धारण ए0सी0पी0 की अनुमन्यता की तिथि अथवा अगली वेतनवृद्धि की तिथि से करवा सकता है, जिसके परिप्रेक्ष्य में वेतन–निर्धारण निम्नवत् किया जायगा :–

(1) यदि सम्बन्धित सरकारी सेवक वित्तीय स्तरोन्नयन अनुमन्य होने पर निम्न ग्रेड वेतन की वेतनवृद्धि की तिथि से वेतन–निर्धारण हेतु विकल्प देता है, तो वित्तीय स्तरोन्नयन अनुमन्य होने की तिथि को वर्तमान वेतन बैण्ड में वेतन अपरिवर्तित रहेगा, किन्तु वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में अनुमन्य ग्रेड वेतन देय होगा। अगली वेतनवृद्धि की तिथि अर्थात् 01 जुलाई को वेतन पुनर्निर्धारित होगा। इस तिथि को सम्बन्धित सेवक को दो वेतनवृद्धियाँ, एक वार्षिक वेतनवृद्धि तथा दूसरी वेतनवृद्धि वित्तीय स्तरोन्नयन के फलस्वरूप, देय होंगी। इन दोनों वेतनवृद्धियों की गणना वित्तीय स्तरोन्नयन अनुमन्य होने की तिथि के पूर्व के मूल वेतन के आधार पर की जायेगी। उदाहरणस्वरूप, यदि वित्तीय स्तरोन्नयन के अनुमन्य होने की तिथि से पूर्व मूल वेतन ₹100 था, तो प्रथम वेतन वृद्धि की गणना ₹100 पर तथा द्वितीय वेतनवृद्धि की गणना ₹103 पर की जायेगी।

(2) यदि सरकारी सेवक वित्तीय स्तरोन्नयन अनुमन्य होने की तिथि से वेतन–निर्धारण हेतु विकल्प देता है तो वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में अनुमन्य ग्रेड वेतन में उसका वेतन निम्नानुसार निर्धारित किया जायेगा :–

वर्तमान वेतन बैण्ड में वेतन तथा वर्तमान ग्रेड वेतन के योग की 03 प्रतिशत धनराशि को अगले 10 में पूर्णांकित करते हुए एक वेतनवृद्धि के रूप में आगणित किया जायेगा। तदनुसार आगणित वेतनवृद्धि की धनराशि वेतन बैण्ड में प्राप्त वर्तमान वेतन में जोड़ी जायगी। इस प्रकार प्राप्त धनराशि वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में अनुमन्य **''वेतन बैण्ड में वेतन''** होगी, जिसके साथ वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में अनुमन्य ग्रेड वेतन देय होगा। जहाँ वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में अनुमन्य वेतन बैण्ड में परिवर्तन हुआ हो वहाँ भी इसी पद्धति का पालन किया जायेगा तथापि वेतनवृद्धि जोड़ने के बाद भी जहाँ वेतन बैण्ड में आगणित वेतन वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में अनुमन्य उच्च वेतन बैण्ड के न्यूनतम से कम हो, तो तदनुसार आगणित वेतन को उक्त वेतन बैण्ड में न्यूनतम के बराबर तक बढ़ा दिया जायेगा।

नोट–

(1) यदि सरकारी सेवक को वित्तीय स्तरोन्नयन किसी वर्ष में दिनांक 02 जुलाई से 01 जनवरी तक अनुमन्य हुआ है तो उसे अगली वेतनवृद्धि अनुवर्ती 01 जुलाई को देय होगी।

उदाहरण– किसी सरकारी सेवक को वित्तीय स्तरोन्नयन यदि 02 जुलाई, 2009 से 01 जनवरी, 2010 तक अनुमन्य हुआ है, तो अगली वेतनवृद्धि 01 जुलाई, 2010 को देय होगी।

(2) यदि वित्तीय स्तरोन्नयन किसी वर्ष में 02 जनवरी से 30 जून तक अनुमन्य हुआ है, तो उसे अगली वेतनवृद्धि अगले वर्ष की पहली जुलाई को देय होगी।

उदाहरण– किसी सरकारी सेवक को वित्तीय स्तरोन्नयन यदि 02 जनवरी, 2009 से 30 जून, 2009 तक अनुमन्य हुआ है, तो उसे अगली वेतनवृद्धि 01 जुलाई 2010 को देय होगी।

6.15 ए0सी0पी0 अनुमन्यता के पश्चात पदोन्नति होने पर वेतन निर्धारण–

यदि वित्तीय स्तरोन्नयन अनुमन्य होने के उपरान्त उसी ग्रेड वेतन, जो वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में अनुमन्य हुआ है, में ही नियमित पदोन्नति होती है तो ए0सी0पी0 की व्यवस्था विषयक उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 04–05–2010 के प्रस्तर–4 में निहित व्यवस्था के अनुसार कोई वेतन निर्धारण नहीं किया जायगा, परन्तु यदि पदोन्नति के पद का ग्रेड वेतन वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में प्राप्त ग्रेड वेतन से उच्च है, तो बैण्ड वेतन अपरिवर्तित रहेगा, और सम्बन्धित कार्मिक को पदोन्नति के पद का ग्रेड वेतन देय होगा।

6.16 दिनांक 01–01–2006 से पूर्व लागू (अपुनरीक्षित) वेतन–संरचना में वृद्धिरोध वेतनवृद्धि की अनुमन्यता पर वेतन–निर्धारण

शासनादेश संख्या– वे0आ0–2–560/दस–45(एम)/99, दिनांक 02–12–2000 (प्रस्तर–3) और उसके आंशिक संशोधन में निर्गत शासनादेश संख्या– वे0आ0–2–1255/दस–2005–45(एम) टी0सी0, दिनांक 20–01 –2006 के परिप्रेक्ष्य में–

(1) ऐसे पदधारक, जिनके पद के साधारण वेतनमान का अधिकतम ₹13,500 से कम रहा है को अपने पद के वेतनमान के अधिकतम पहुँच जाने पर उनके वेतनमान को उसमें अन्तिम वेतनवृद्धि के बराबर तीन वेतनवृद्धियाँ की धनराशि जोड़कर बढ़ा दिये जाने की व्यवस्था रही है। ये वेतनवृद्धियाँ सम्बन्धित पदधारक को वृद्धिरोध वेतनवृद्धि के रूप में पद के वेतनमान के अधिकतम पर पहुँचने के पश्चात वार्षिक आधार पर देय रही हैं। यह वेतनवृद्धि ऐसे पदधारकों को भी अनुमन्य रही हैं, जिन्हें वेतनमान के अधिकतम पर पहुँचने तक से0ग्रेड के लाभ के रूप में एक वेतनवृद्धि अनुमन्य हो चुकी हो, किन्तु पद के वेतनमान के अधिकतम पर पहुँचने के उपरान्त सेवा अवधि के आधार पर से0ग्रेड के रूप में देय वेतनवृद्धि अनुमन्य नहीं रही है।

(2) ऐसे पदधारक, जिनके पद के साधारण वेतनमान का अधिकतम ₹13,500 या उससे अधिक रहा है, को पद के वेतनमान के अधिकतम पर पहुँचने के उपरान्त वृद्धिरोध के रूप में प्रत्येक 2 वर्ष बाद एक वेतनवृद्धि और उस प्रकार अधिकतम 3 वेतनवृद्धियाँ दिये जाने की व्यवस्था रही है।

(3) वृद्धिरोध वेतनवृद्धि का लाभ केवल पद के साधारण वेतनमान में ही अनुमन्य रहा है अर्थात यह लाभ वैयक्तिक प्रोन्नतीय/अगले उच्च वेतनमान तथा से0 ग्रेड में अनुमन्य नहीं रहा है।

(4) इस प्रकार अनुमन्य वृद्धिरोध वेतनवृद्धि के सम्बन्धित वेतनमान का भाग माना गया है तथा मूल नियम के अन्तर्गत वेतन–निर्धारण के प्रयोजनार्थ उसे वेतन का अंग माना गया है।

6.17 प्रतिनियुक्ति सेवा स्थानान्तरण पर वेतन–निर्धारण–

(क) मूल नियम–50 के अनुसार शासन की स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी कर्मचारी भारत के बाहर प्रतिनियुक्ति पर कार्य करने के लिए नहीं भेजा जा सकेगा।

(ख) जब कोई सरकारी कर्मचारी समुचित स्वीकृति से भारत के अपने पद के कर्तव्यों के सम्बन्ध में या ऐसे विशेष कर्तव्यों के सम्बन्ध में, जिन्हें उसे अस्थायी रूप से दिया जाय, भारत से बाहर अस्थायी रूप से प्रतिनियुक्ति पर भेजा जाता है, तो उसका वेतन **मूल नियम–51** के अनुसार विनियमित किया जायेगा।

(ग) **मूल नियम–51–क** के अनुसार जब कोई सरकारी कर्मचारी उचित स्वीकृति से भारत के बाहर ड्यूटी पर नियमित रूप से सृजित किये गये अपनी सेवा के संवर्ग के बाहर किसी अन्य स्थायी (Permanent) या (Quasi-Permanent) अर्द्धस्थायी पद को ग्रहण करने के लिये प्रतिनियुक्त किया जाता है, तो उसका वेतन शासन के आदेशों द्वारा विनियमित किया जायगा।

(घ) वाह्य सेवा (Foreign Service) में वेतन के सम्बन्ध में ''मूल नियम–114 एवं तत्सम्बन्धित श्री राज्यपाल के आदेश'' में निहित प्रावधान और वाह्य सेवा से सरकारी सेवा में नियुक्ति पर वेतन–निर्धारण के सम्बन्ध में ''मूल नियम–124 एवं तत्सम्बन्धित लेखा–परीक्षा अनुदेश'' में निहित प्रावधान अनुपालनीय हैं।

(ड.) शासनादेश संख्या– जी–1–374/दस–99–204/99, दिनांक 03–06–1999 के अनुसार पैतृक विभाग में समय–समय पर प्राप्त वेतनमान में मूल वेतन एवं मूल वेतन का 5 प्रतिशत परन्तु अधिकतम ₹500 प्रतिमाह प्रतिनियुक्ति भत्ता, यदि वाह्य सेवा उसी स्टेशन पर होती है जहाँ पूर्व में तैनाती थी और यदि वाह्य सेवा में तैनाती स्टेशन से बाहर होती है, तो मूल वेतन एवं मूल वेतन का 10 प्रतिशत परन्तु अधिकतम ₹1,000 प्रतिमाह प्रतिनयुक्ति भत्ता इस शर्त के अधीन अनुमन्य रहा है कि तत्कालीन वेतन संरचना में मूल वेतन एवं प्रतिनियुक्ति भत्ते का योग ₹22,000 से अधिक नहीं होगा।

(च) वेतन समिति (2008) द्वारा प्रतिनियुक्ति भत्ते के सम्बन्ध में की गयी संस्तुतियों पर शासन द्वारा लिये गये निर्णयानुसार उक्त शासनादेश दिनांक 03–06–1999 के संशोधन में निर्गत शासनादेश संख्या– जी–1– 142/दस–2011–204/1999, दिनांक 16–05–2011 द्वारा प्रतिनियुक्ति भत्ते की पुनरीक्षित दर दिनांक 01–05–2011 से प्रभावी करते हुये निम्नवत् स्वीकृत की गयी है :–

(1) सार्वजनिक उपक्रमों, निगमों, स्थानीय निकायों एवं विश्वविद्यालयों आदि में वाह्य सेवा पर प्रतिनियुक्ति पर स्थान्तरित होने वाले सरकारी कर्मचारियों को यदि वह उसी स्टेशन पर रहता है जहाँ उसकी तैनाती थी, तो वेतन का 5 प्रतिशत अधिकतम ₹1,500 प्रतिमाह तथा स्टेशन के बाहर वाह्य सेवा पर तैनाती होने की स्थिति में मूल वेतन का 10 प्रतिशत अधिकतम ₹3,000 प्रतिमाह प्रतिनियुक्ति भत्ते की अनुमन्यता होगी।

(2) दिनांक 01–01–2006 से पुनरीक्षित वेतन संरचना में मूल वेतन तथा प्रतिनियुक्ति भत्ते के योग की अधिकतम सीमा सम्बन्धी प्रतिबन्ध समाप्त कर दिया गया है।

(3) स्वेच्छा से वाह्य सेवा पर स्थानान्तरण की दशा में प्रतिनियुक्ति भत्ता अनुमन्य नहीं होगा, बल्कि केवल जनहित में वाह्य सेवा पर स्थानान्तरण की दशा में देय होगा।

(छ) समयमान वेतनमान की स्वीकृति से सम्बन्धित स्पष्टीकरण शासन के आदेश संख्या–वे0आ0–2–257/ दस–2004–45(एम)/99, दिनांक 20–08–2004 के संलग्नक में बिन्दु संख्या–8 के संदर्भ में उल्लिखित स्पष्टीकरण के अनुसार सेवा स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति की स्थिति में पैतृक विभाग के पद के सन्दर्भ में समयमान वेतनमान के अन्तर्गत देय लाभ का आदेश पदधारक के **पैतृक विभाग में नियुक्ति प्राधिकारी** द्वारा ही जारी किया जायगा।

(ज) ए0सी0पी0 विषयक शासनादेश संख्या–वे0आ0–2–561/दस–62(एम)/2008, दिनांक 04–05–2010 के प्रस्तर–1 (10) के अनुसार प्रतिनियुक्ति/सेवा स्थानान्तरण पर कार्यरत सेवकों को ए0सी0पी0 की व्यवस्था के अन्तर्गत वित्तीय स्तरोन्नयन प्राप्त करने हेतु अपने पैतृक विभाग के मूल पद के आधार पर ए0सी0पी0 के अन्तर्गत देय वेतनबैण्ड में वेतन एवं ग्रेड वेतन अथवा प्रतिनियुक्ति/सेवा स्थानान्तरण के वर्तमान पद पर अनुमन्य हो रहे बैण्ड वेतन एवं ग्रेड वेतन, जो भी लाभप्रद हो, को चुनने का विकल्प होगा।

6.18 पुनरीक्षित वेतन संरचना में नॉन फंक्शनल वेतनमान का लाभ अनुमन्य होने की स्थिति में वेतन–निर्धारण

(क) वेतन समिति (2008) द्वारा की गयी संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार राजकीय कर्मचारियों को शासनादेश संख्या– वे0आ0–2–1314/दस–59(एम)/2008, दिनांक 08–12–2008 के माध्यम से दिनांक 01 जनवरी, 2006 से अनुमन्य करायी गयी पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन–निर्धारण की व्यवस्था शासनादेश संख्या–वे0आ0–2–1318/दस–59(एम)/2008, दिनांक

08–12–2008 द्वारा की गयी है। किन्तु उक्त शासनादेश में उ0प्र0 सचिवालय के अनुभाग अधिकारियों एवं निजी सचिव श्रेणी–1 के पदधारकों को नॉन फंक्शनल वेतनमान के रूप में वेतनमान ₹8,000–13,500 के सादृश्य पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन का लाभ अनुमन्य होने की स्थिति में वेतन–निर्धारण की प्रक्रिया स्पष्ट नहीं है।

(ख) कालान्तर में भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय सचिवालय के अनुभाग अधिकारियों को नॉन फंक्शनल वेतनमान की अनुमन्यता की स्थिति में कार्यालय ज्ञाप संख्या–6/3/2009–CS.I(S), दिनांक 19 नवम्बर, 2009 द्वारा वेतन निर्धारण की वही प्रक्रिया अपनाये जाने की व्यवस्था की गयी है जो पदोन्नति होने की स्थिति में वेतन–निर्धारण हेतु अपनायी जाती है।

(ग) अतएव इस सम्बन्ध में शासनादेश संख्या– वे0आ0–2–678/दस–59(एम)/2008 टी0सी0, दिनांक 25– 06–2010 द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि उ0प्र0 सचिवालय के अनुभाग अधिकारियों एवं निजी सचिव श्रेणी–1 के पदधारकों को नॉन फंक्शनल वेतनमान के रूप में वेतनमान ₹8,000–13,500 के सादृश्य पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन का लाभ अनुमन्य होने की स्थिति में वेतन निर्धारण की वही प्रक्रिया अपनायी जायेगी, जैसी कि पदोन्नति होने की स्थिति में वेतन–निर्धारण हेतु उक्त शासनादेश दिनांक 08 दिसम्बर, 2008 के प्रस्तर–11 में वर्णित है। उदाहरणस्वरूप– नॉन फंक्शनल वेतनमान अनुमन्य होने की स्थिति में अनुभाग अधिकारी/निजी सचिव श्रेणी–1 के पद पर प्राप्त मूल वेतन के 03 प्रतिशत के बराबर एक वेतनवृद्धि और उक्त धारित पद के ग्रेड वेतन ₹4,800 एवं नॉन फंक्शनल वेतनमान के सादृश्य ग्रेड वेतन ₹5,400 के अन्तर की धनराशि ₹600 को जोड़कर उनका वेतन निर्धारित किया जायेगा।

6.19 समय–समय पर पुनरीक्षित/संशोधित/उच्चीकृत वेतनमानों में वेतन–निर्धारण

(1) इस सम्बन्ध में प्रायः सामान्य नियम लागू न होने की दशा में यथासमय निर्गत शासनादेशों में अथवा उसके प्रसंग में निर्गत शासनादेशों में ही वेतन–निर्धारण की प्रक्रिया का विस्तृत उल्लेख विद्यमान रहता है, जिसका सम्यक् अनुपालन किया जाना चाहिये।

(2) वर्तमान में दिनांक 01–01–2006 से लागू की गयी पुनरीक्षित वेतन संरचना से सम्बन्धित वेतन समिति, उ0प्र0 (2008) की संस्तुतियों के परिप्रेक्ष्य में शासन के संकल्प संख्या वे0आ0–2–1313/दस–54(एम)/ 2008 दिनांक 08–12–2008 के क्रम में राजकीय कर्मचारियों के प्रसंग में निर्गत शासनादेश संख्या वे0आ0–2–1314/दस–59(एम)/2008 दिनांक 08–12–2008 के संलग्न में उल्लिखित वेतनमानों के सादृश्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन में शासनादेश सं0–वे0आ0–2–228/दस–59(एम)/2008 दिनांक 02–02–2009 सपठित शासनादेश संख्या वे0आ0–2–243/दस–59(एम)/2008 दिनांक 05–02–2009, संख्या वे0आ0– 2–287/दस–59(59)/08 दिनांक 16–03–2010 सपठित संख्या वे0आ0–2–437/दस– 59(एम)/08 दिनांक 07–04–2010 और शासनादेश संख्या वे0आ0–2–2052/दस–59(एम)/2008, दिनांक 08–09–2010 सपठित शासनादेश सं0– वे0आ0–2–26/दस–59(एम)2008 दिनांक 06–01–2011 आदि को भी संज्ञान में लेते हुए वेतन–निर्धारण एवं वेतनवृद्धि आदि की प्रक्रिया यथानिर्धारित अवधि में सुसंगत प्रारूप पर विकल्प की सुविधा के साथ शासनादेश संख्या वे0आ0–2– 1318/दस–59(एम)/2008 दिनांक 08–12–2008 और उसके क्रम में निर्गत अन्य शासनादेशों, जैसे संख्या वे0आ0–2–1371/दस–59(एम)/2008, दिनांक 02–01–2009, संख्या वे0आ0–2–299/दस–54 (एम)/2008 टी0सी0 दिनांक 27–02–2009, संख्या वे0आ0–2–928/दस–54(एम)/2009 टी0सी0 दिनांक 17–08–2009, संख्या वे0आ0–2–678/दस–59(एम)/2008 टी0सी0 दिनांक 25–06–2010, संख्या

वे0आ0–2–3026/दस–54 (एम)/2008 टी0सी0 दिनांक 12–10–2010, संख्या वे0आ0–2–3025/ दस–59 (एम)/2008 दिनांक 09–12–2010 में निर्धारित की गई है।

पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड तथा ग्रेड वेतन

क्र0सं0	अपुनरीक्षित वेतनमान ₹	संशोधित पुनरीक्षित वेतन–सरंचना		
		वेतन बैंड/ वेतनमान का नाम	सादृश्य वेतन बैंड/ वेतनमान ₹	सादृश्य ग्रेड वेतन ₹
1	2	3	4	5
1	2,550–55–2,660–60–3,200	–1 एस	4,440–7,440	1,300
2	2,610–60–3,150–65–3,540	–1 एस	4,440–7,440	1,400
3	2,650–65–3,300–70–4,000	–1 एस	4,440–7,440	1,650
4	2,750–70–3,800–75–4,400	वेतन बैंड–1	5,200–20,200	1,800
5	3,050–75–3,950–80–4,590	वेतन बैंड–1	5,200–20,200	1,900
6	3,200–85–4,900	वेतन बैंड–1	5,200–20,200	2,000
7	4,000–100–6,000	वेतन बैंड–1	5,200–20,200	2,400
8	4,500–100–6,000	वेतन बैंड–1	5,200–20,200	2,800
9	4,500–125–7,250	वेतन बैंड–1	5,200–20,200	2,800
10	5,000–150–8,000	वेतन बैंड–2	9,300–34,800	4,200
11	5,500–175–9,000	वेतन बैंड–2	9,300–34,800	4,200
12	6,500–200–10,500	वेतन बैंड–2	9,300–34,800	4,200
13	7,450–225–11,500	वेतन बैंड–2	9,300–34,800	4,600
14	7,500–250–12,500	वेतन बैंड–2	9,300–34,800	4,800
15	8,000–275–13,500	वेतन बैंड–2	9,300–34,800	5,400
16	8,000–275–13,500*	वेतन बैंड–3	15,600–39,100	5,400
17	8,550–275–14,600	वेतन बैंड–3	15,600–39,100	5,400
18	10,000–325–15,200	वेतन बैंड–3	15,600–39,100	6,600
19	10,650–325–15,850	वेतन बैंड–3	15,600–39,100	6,600
20	12,000–375–16,500	वेतन बैंड–3	15,600–39,100	7,600
21	14,300–400–18,300	वेतन बैंड–4	37,400–67,000	8,700
22	16,400–450–20,000	वेतन बैंड–4	37,400–67,000	8,900
23	18,400–500–22,400	वेतन बैंड–4	37,400–67,000	10,000
24	22,400–525–24,500	वेतन बैंड–4	67,000–79,000	शून्य
25	26,000 (नियत)	शीर्षस्थ वेतनमान	80,000 (नियत)	शून्य

* *जहाँ इस वेतनमान में सीधी भर्ती भी हो*

(3) उक्त शासनादेश संख्या वे0आ0–2–1318/दस–59(एम)/2008 दिनांक 08–12–2008 के प्रस्तर–1 में उल्लिखित प्रावधान स्पष्टीकरण के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तर–2 में विकल्प चयन की व्यवस्था के साथ प्रस्तर–3 में वर्तमान (अपुनरीक्षित) वेतनमान में परिलब्धियों की गणना की प्रक्रिया के उल्लेख के साथ सम्बनिधत कार्मिक के विकल्प को संज्ञान में लेते हुए दिनांक 01–01–2006 से विकल्प की स्थिति में प्रस्तर–5 में और दिनांक 01–01–2006 के बाद की तिथि से विकल्प की स्थिति में प्रस्तर–9 में वेतन निर्धारण की प्रक्रिया, सुसंगत तालिका को भी संज्ञान लेते हुए निर्धारित की गयी है। तत्पश्चात पुनरीक्षित वेतन–संरचना में पदोन्नति होने पर वेतन निर्धारण की प्रक्रिया उक्त शासनादेश दिनांक 08–12–2008 के ही प्रस्तर–11 में निहित

है। इसके अतिरिक्त 01–01–2006 को अथवा उसके बाद नवनियुक्त सरकारी सेवकों के संदर्भ में पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन–निर्धारण की प्रक्रिया संलग्न–2(ब) के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तर–6 में निहित है। प्रस्तर–7 एवं 8 में वेतनवृद्धि सम्बन्धी व्यवस्था है तथा प्रस्तर–12 सपठित शासनादेश से वे0आ0–2–299/दस–54(एम)/ 2008 टी0सी0 दिनांक 27–02–2009 (प्रस्तर–3) में पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन निर्धारण के फलस्वरूप अवशेष के भुगतान की प्रक्रिया अवलोकनीय हैं। प्रस्तर–10 में यह व्यवस्था है कि सरकारी सेवक जो दिनांक 01–01–2006 से पहले किसी पद पर स्थानापन्न रूप से कार्यरत रहा हो परन्तु दिनांक 01–01–2006 को उस पद पर न रहा हो और उस पद पर बाद की तिथि में नियुक्त किया गया हो, तो बाद में नियुक्त होने पर पुनरीक्षित वेतन संरचना में उसका वेतन मूल नियम–22 के प्रावधानों का लाभ देते हुए इस प्रकार से निर्धारित किया जायगा कि जैसे वह दिनांक 01–01–2006 को उस पद पर था और उसने उस तिथि से पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन प्राप्त करने का विकल्प दिया था।

(4) वेतन निर्धारण में सुगमता के आशय से विभिन्न शासनादेशों जैसे वे0आ0–2–1327/दस–59 (एम)/2008 दिनांक 11–12–2008 यथासंशोधित शासनादेश संख्या वे0आ0–2 –1271/दस–59 (एम)/2009 दिनांक 07–09–2009 और शासनादेश संख्या वे0आ0–2–365/दस–2010–59(एम)/2008 दिनांक 25–03–2010, संख्या वे0आ0–2–437/दस–2010–59(एम)/2008 दिनांक 07–04–2010 आदि द्वारा वेतनमानवार सादृश्य वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन के प्रसंग में विस्तृत तालिकायें भी उपलब्ध कराई गई हैं। उक्त शासनादेश दिनांक 11–12–2008 के संलग्नक–2 में **वेतन–निर्धारण का प्रारूप** और संलग्नक–3 में सम्बन्धित कार्मिक से वेतन–निर्धारण हेतु **सहमति पत्र का प्रारूप** भी निर्धारित किया गया है।

(5) उल्लेखनीय है कि यद्यपि उक्त शासनादेश दिनांक 11–12–2008 के प्रस्तर–1 के अनुसार तत्संलग्न तालिकायें उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 08–12–2008 के प्रस्तर–5, जो दिनांक 01–01–2006 से पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन निर्धारण विषयक है, के सन्दर्भ में लागू की गयी थी किन्तु बाद में निर्गत शासनादेश संख्या वे0आ0–2–3026/दस–54(एम)/2008 टी0सी0 दिनांक 12–10–2010 द्वारा पूर्व शासनादेश संख्या में यथावश्यक संशोधन करते हुए वे तालिकायें प्रस्तर–9 जो दिनांक 01–01–2006 के बाद वेतन–निर्धारण विषय में है, के संदर्भ में भी लागू कर दी गयी हैं।

(6) दिनांक 01–01–2006 से लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन निर्धारण विषयक शासनादेश संख्या वे0आ0 –2–1318/दस–59(एम)/2008 दिनांक 08–12–2008 के क्रम में प्रारम्भिक वेतन–निर्धारण एवं वेतन– वृद्धि की गणना हेतु धनराशि को 10 रूपये में पूर्णांकित करने की व्यवस्था के सम्बन्ध में स्थिति अग्रेतर शासनादेश संख्या वे0आ0–2–3025/दस–59(एम)/2008 दिनांक 09–12–2010 द्वारा निम्नवत् सुस्पष्ट की गयी है :–

स्पष्टीकरण का बिन्दु	स्पष्टीकरण
क्या पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतनवृद्धि की धनराशि की गणना के सम्बन्ध में वेतन बैण्ड में वेतन + ग्रेड वेतन के योग पर 03 प्रतिशत की आगणित धनराशि में से 50 पैसे से कम को 1 रूपये मानते हुए अगले दस रूपये में पूर्णांकित किया जायेगा अथवा 50 पैसे से ऊपर को ही 1 रूपये मानते हुए अगले दस रूपये में पूर्णांकित किया जायेगा?	शासनादेश संख्या वे0आ0–2–1327/दस–59 (एम)/ 2008 दिनांक 11 दिसम्बर, 2008 की फिटमेंट तालिकाओं में पूर्णांकित किये जाने की व्यवस्था को बिना किसी परिवर्तन के यथावत् लागू किया जायेगा। पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतनवृद्धि की धनराशि की गणना के सम्बन्ध में वेतन बैण्ड में वेतन + ग्रेड वेतन के योग पर 03 प्रतिशत की आगणित धनराशि को 10 रूपये में पूर्णांकित किये जाने हेतु रूपये के किसी भी अंश को संज्ञान में

	नहीं लिया जायेगा तथा एक रूपये अथवा उससे अधिक को अगले 10 रूपये में पूर्णांकित किया जायेगा। **उदाहरण :–** यदि 3 प्रतिशत की आगणित धनराशि ₹1900.70 है तो उसे ₹1900 में पूर्णांकित किया जायेगा। यदि 3 प्रतिशत की आगणित धनराशि ₹1901 है तो उसे ₹1910 में पूर्णांकित किया जायेगा।

(7) वेतन–निर्धारण की प्रक्रिया विषयक उपयुर्क्त शासनादेश दिनांक 08–12–2008 के प्रस्तर–8, जो पुनरीक्षित वेतन संरचना में अगली वेतनवृद्धि की तिथि के सम्बन्ध में है, के परिप्रेक्ष्य में,

(क) शासनादेश संख्या वे0आ0–2–928/दस–54(एम)/2009 टी0सी0 दिनांक 17–08–2009 में सुस्पष्ट निर्देश है कि ऐसे कार्मिक, जो नियुक्ति/पदोन्नति होने पर 01 जनवरी को केवल रविवार अथवा राजपत्रित अवकाश पड़ने के कारण कार्यभार ग्रहण नहीं कर सके और उनके द्वारा वर्ष के प्रथम कार्यदिवस को कार्यभार ग्रहण किया गया है तो उनकी उस वर्ष की आगामी 01 जुलाई को छः माह की सेवायें वेतनवृद्धि के आगणन हेतु पूर्ण मानी जायेगी तथा उन्हें उस वर्ष की 01 जुलाई को पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतनवृद्धि देय होगी।

(ख) अग्रेतर शासनादेश संख्या वे0आ0–2–299/दस–54(एम)/2008 टीसी0, दिनांक 27–02–2009 (प्रस्तर–3) द्वारा उपयुर्क्त शासनादेश दिनांक 08–12–2008 के प्रस्तर–8(1) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है –

"वार्षिक वेतनवृद्धि की तिथि एकसमान अर्थात प्रत्येक वर्ष **01 जुलाई** होगी। 01 जुलाई को पुनरीक्षित वेतन संरचना में 06 माह अथवा अधिक अवधि पूर्ण करने वाले कर्मचारी वेतनवृद्धि प्राप्त करने के पात्र होंगे। इस प्रकार ऐसे कर्मचारी जिन्होने अपनी गत वेतनवृद्धि दिनांक 02 जनवरी, 2005 से दिनांक 01–01–2006 के मध्य अर्जित की है, उन्हें पुनरीक्षित वेतन संरचना में अगली वेतनवृद्धि दिनांक 01–07–2006 को देय होगी।

ऐसे कर्मचारी जिनकी आगामी वेतनवृद्धि दिनांक 01–01–2006 को अर्जित होती है उन्हें अपुनरीक्षित वेतनमान में दिनांक 01–01–2006 को वेतनवृद्धि का लाभ प्रदान करते हुये पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन निर्धारित किया जायगा। ऐसे कर्मचारियों को पुनरीक्षित वेतन संरचना में आगामी वेतनवृद्धि दिनांक 01–07–2006 को देय होगी।"

(8) दिनांक 01–01–2006 से लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतनवृद्धि विषय में कतिपय अन्य प्रावधान जो वेतन–निर्धारण विषयक उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 08–12–2008 के प्रस्तर 8 के उपप्रस्तर (2)(3) एवं (4) सपठित शासनादेश संख्या–वे0आ0–2–3026/दस–54(एम)/2008 टी0सी0 (प्रस्तर–2), जिसके द्वारा उक्त प्रस्तर–8(3) को संशोधित किया गया है, भी यथास्थिति अनुपालनीय है, जो निम्नवत् हैं :–

उक्त प्रस्तर–8(2) का उद्धरण– ''उन व्यक्तियों के मामले में पुनरीक्षित वेतन संरचना में अगली वेतनवृद्धि जनवरी, 2006 को देने की अनुमति होगी, जो 01–01–2006 को एक वर्ष से अधिक समय से वर्तमान वेतनमान का अधिकतम पा रहे थे। उसके बाद उन पर इस प्रस्तर की शर्तें लागू होंगी।''

उक्त प्रस्तर–8(3) का उद्धरण– ''उन मामलों में जब कोई कर्मचारी अपने वेतन बैण्ड के अधिकतम पर पहुँच जायेगा तो उसे अधिकतम स्तर पर पहुँचने के एक वर्ष बाद अगले उच्चतर वेतन बैण्ड में डाल दिया जायेगा। उच्चतर वेतन बैण्ड में स्थापन के समय एक वेतनवृद्धि का लाभ दिया जायेगा। उसके प्श्चात् वह उच्चतर बैण्ड में तब तक क्रमागत बढ़ता रहेगा जब तक कि

वेतन बैण्ड में उसका वेतन पी0बी0–4 के अधिकतम तक नहीं पहुँच जाता और उसके पश्चात् उसे और कोई वेतनवृद्धि नहीं दी जायेगी।''

स्पष्टीकरण– ऐसे मामले में जहाँ वेतनवृद्धि अर्जित करने के फलस्वरूप आगणित धनराशि सम्बन्धित कार्मिक के वेतन बैण्ड के अधिकतम से अधिक हो तो सम्बन्धित तिथि को उसका बैण्ड वेतन, वेतन बैण्ड के अधिकतम पर निर्धारित किया जायेगा। उक्तनुसार अधिकतम पर बैण्ड वेतन निर्धारित होने के एक वर्ष बाद उक्त व्यवस्था के अनुसार अगले उच्चतर वेतन बैण्ड में डाला जायेगा।''

उक्त प्रस्तर–8(4) का उद्धरण– ''ऐसे मामलों में जहाँ दो वर्तमान वेतनमानों में से एक को दूसरे के लिये पदोन्नति वेतनमान होते हुए भी मिला दिया गया हो और अब कनिष्ठ सरकारी कर्मचारी अपना वेतन निचले वेतनमान में समान अथवा नीचे के स्तर पर पा रहा हो तथा पुनरीक्षित वेतन संरचना के वेतन बैण्ड में वह वर्तमान उच्चतर वेतनमान में कार्यरत वरिष्ठ सरकारी सेवक से अधिक वेतन ले रहा हो तो वरिष्ठ सरकारी सेवक का वेतन बैण्ड में वेतन उसी तिथि से उक्त कनिष्ठ सरकारी सेवक के वेतन के बराबर कर दिया जायेगा और इस प्रकार वह अपनी अगली वेतनवृद्धि इस प्रस्तर के अनुसार प्राप्त करेगा।"

(9) उल्लेखनीय है कि दिनांक 01–01–2006 से ही वेतनमान पुनरीक्षण/संशोधन/उच्चीकरण की स्थिति मे वेतन–निर्धारण की व्यवस्था तो उपयुर्क्त शासनादेश सं0 वे0आ0–2–1318/दस–59(एम)/2008, दिनांक 08–12–2008 एवं उसके क्रम में अग्रेतर शासनादेशों में निहित है पुनरीक्षित वेतन संरचना में आने के उपरान्त वेतनमान उच्चीकृत/संशोधित होने की स्थिति में वेतन–निर्धारण की व्यवस्था उपलब्ध न होने के कारण अग्रेतर शासनादेश संख्या वे0आ0–2–843/दस–2009–59(एम)/2008, दिनांक 24–12–2009 (प्रस्तर–9) द्वारा ऐसे मामलों में वेतन निर्धारण की व्यवस्था निम्नवत् की गयी है :–

(एक)–किसी कार्मिक द्वारा पुनरीक्षित वेतन संरचना में आने के उपरान्त यदि सम्बन्धित पद के उच्चीकृत/ संशोधित वेतनमान के उच्चीकरण/संशोधन की तिथि से प्रापत करने का विकल्प दिया जाता है तो उच्चीकरण की तिथि को वेतन बैन्ड में उसका वेतन (बैन्ड वेतन) अपरिवर्तित रहेगा और उच्च ग्रेड वेतन अनुमन्य होगा। तदोपरान्त 06 माह अथवा उसके उपरान्त पड़ने वाली पहली जुलाई को उसे अगली सामान्य वेतनवृद्धि अनुमन्य होगी ।

(दो)–यदि सम्बन्धित कार्मिक द्वारा पद के उच्चीकृत/संशोधित वेतन बैन्ड एवं ग्रेड वेतन में उच्चीकरण की तिथि के उपरान्त पड़ने वाली अपनी सामान्य वेतनवृद्धि की तिथि से वेतन–निर्धारण का विकल्प दिया जाता है तो उच्चीकृत/संशोधित वेतनमान के सादृश्य वेतनबैन्ड एवं ग्रेड वेतन में सम्बन्धित पदधारक को उच्चीकरण/संशोधन की तिथि से वेतन–निर्धारण का कोई लाभ देय नहीं होगा अर्थात उसका वेतन बैन्ड में वेतन एवं ग्रेड वेतन यथावत् रहेगा ओर अगली वेतनवृद्धि की तिथि अर्थात 01 जुलाई को संबंधित कार्मिक को देय सामान्य वेतनवृद्धि, जो उसे पूर्व से मिल रहे वेतन बैन्ड में वेतन एवं ग्रेड वेतन के आधार पर आगणित होगी, अनुमन्य कराते हुए उच्च ग्रेड वेतन देय होगा।

(तीन)–उपर्युक्त व्यवस्था के अनुसार उच्चीकृत/संशोधित वेतन बैण्ड/ग्रेड वेतन में संबंधित कार्मिक का वेतन शासनादेश संख्या वे0आ0–2–1371/दस–2009–59(एम)/2008, दिनांक 02 जनवरी, 2009 सपठित शासनादेश संख्या वे0आ0–2–1318/दस–2009–59(एम)/2008, दिनांक 08 दिसम्बर, 2008 के संलग्नक–2 में दिनांक 01 जनवरी 2006 को अथवा इसके बाद नियुक्ति सीधी भर्ती के कर्मचारियों के लिये पुनरीक्षित वेतन संरचना की तालिका (ब) में संबंधित वेतन बैण्ड/ग्रेड वेतन के सम्मुख उल्लिखित कुल धनराशि से कम वेतन निर्धारित होने पर उसे उपर्युक्त तालिका (ब) के अनुसार आगणित कुल धनराशि के बराबर मूल वेतन निर्धारित किया जायेगा।

(10) उक्त शासनादेश दिनांक 24–12–2009 के प्रस्तर–2 में निहित उपर्युक्त व्यवस्था के अनुसार वेतन– निर्धारण में सुगमता के लिये उसके प्रस्तर–3 में सन्दर्भित संलग्नक–1 में दो प्रकार के उदाहरण भी दिये गये हैं–

उदाहरण :– *(शासनादेश संख्या– वे0आ0–2–841/दस–59(एम)/2008, दिनांक 24 दिसम्बर, 2009 का संलग्नक–1)*

(क) पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन में 02 जुलाई से अनुवर्ती वर्ष की 01 जनवरी तक उच्चीकरण होने के फलस्वरुप वेतन निर्धारण–

(1) पद हेतु पुनरीक्षित वेतन संरचना में दिनांक 01 जनवरी, 2006 को निर्धारित वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन — ₹5,200–20,200 एवं ₹2,000

(2) यदि दिनांक 01 जनवरी, 2006 को निर्धारित बैण्ड वेतन – — ₹6,910

(3) अतः दिनांक 01 जनवरी, 2006 को मूल वेतन (बैण्ड वेतन + ग्रेड वेतन) — ₹8,910

(4) दिनांक 01 जुलाई, 2006 एवं 01 जुलाई, 2007 की वेतनवृद्धियाँ अनुमन्य कराते हुए दिनांक 01 जुलाई, 2007 को निर्धारित मूल वेतन (बैण्ड वेतन ₹7,460 + ग्रेड वेतन ₹2,000) — ₹9,460

(5) यदि पद पर अनुमन्य ग्रेड वेतन ₹2,000 के स्थान पर दिनांक 10 अगस्त, 2007 से ₹2,400 का उच्चीकृत ग्रेड वेतन अनुमन्य हुआ।

(6) (1) ग्रेड वेतन के उच्चीकरण की तिथि से वेतन निर्धारण कराने पर उच्चीकरण की तिथि को आगणित मूल वेतन (बैण्ड वेतन ₹7,460 + ग्रेड वेतन ₹2,400) — ₹9,860

(2) शासनादेश संख्या–वे0आ0–1318/दस–59(एम)/08, दिनांक 08 दिसम्बर, 2008 में सीधी भर्ती से ग्रेड वेतन ₹2,400 में नियुक्ति पर निर्धारित न्यूनतम मूल वेतन (बैण्ड वेतन ₹7,510 + ग्रेड वेतन ₹2,400) है– — ₹9,910

(7) अतः ग्रेड वेतन ₹2,400 में उच्चीकरण की तिथि को निर्धारित मूल वेतन (6)(2) के अन्तर्गत निर्धारित न्यूनतम मूल वेतन (6)(1) के अन्तर्गत आगणित मूल वेतन से अधिक होने पर — ₹9,910

(8) (1) उच्चीकरण की तिथि से वेतन निर्धारण कराने पर अगली वेतनवृद्धि अर्थात दिनांक 01 जुलाई 2008 को वेतनवृद्धि अनुमन्य कराते हुए, दिनांक 01 जुलाई, 2008 को निर्धारित मूल वेतन (बैण्ड वेतन ₹7,810 + ग्रेड वेतन ₹2,400) — ₹10,210

(2) उच्चीकरण की तिथि के बाद की वेतन वृद्धि की तिथि अर्थात दिनांक 01 जुलाई, 2008 से वेतन निर्धारण कराने पर, दिनांक 01 जुलाई, 2007 को अनुमन्य मूल वेतन पर एक वेतनवृद्धि तथा उच्चीकृत ग्रेड वेतन अनुमन्य कराते हुए, दिनांक 01 जुलाई 2008 को निर्धारित मूल वेतन (बैण्ड वेतन ₹7,750 + ग्रेड वेतन ₹2,400) — ₹10,150

(ख) पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन में 02 जनवरी से 30 जून तक उच्चीकरण होने के फलस्वरुप वेतन निर्धारण–

(1) पद हेतु पुनरीक्षित वेतन संरचना में दिनांक 01 जनवरी, 2006 को — ₹15,600–39,100

निर्धारित वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन ₹6,600

(2) यदि दिनांक 01 जनवरी 2006 को निर्धारित बैण्ड वेतन है– ₹21,630

(3) अतः दिनांक 01 जनवरी, 2006 को निर्धारित मूल वेतन (बैण्ड वेतन ₹21,630 + ग्रेड वेतन ₹6,600 ₹28,230

(4) दिनांक 01 जुलाई, 2006 एवं दिनांक 01 जुलाई, 2007 की वेतन वृद्धियाँ अनुमन्य कराते हुए दिनांक 01 जुलाई, 2007 को निर्धारित मूल वेतन (बैण्ड वेतन ₹23,360 + ग्रेड वेतन ₹6,600) ₹29,960

(5) यदि पद पर अनुमन्य ग्रेड वेतन ₹6,600 के स्थान पर दिनांक 01 जनवरी, 2008 से ₹7,600 का उच्चीकृत ग्रेड वेतन अनुमन्य हुआ।

(6) (1) ग्रेड वेतन के उच्चीकरण की तिथि से वेतन निर्धारण कराने पर उच्चीकरण की तिथि को आगणित मूल वेतन (बैण्ड वेतन ₹23,360 + ग्रेड वेतन ₹7,600) ₹30,960

(2) शासनादेश संख्या–वे0आ0–1318/दस–59(एम)/08 दिनांक 2008 में सीधी भर्ती से ग्रेड वेतन ₹7,600 में नियुक्ति पर निर्धारित न्यूनतम मूल वेतन (बैण्ड वेतन ₹21,900 + ग्रेड वेतन ₹7,600) है। ₹29,500

(7) अतः ग्रेड वेतन ₹7,600 में उच्चीकरण की तिथि को निर्धारित मूल वेतन (6)(2) के अन्तर्गत निर्धारित न्यूनतम मूल वेतन (6)(1) से कम होने के कारण । ₹30,960

(8) (1) उच्चीकरण की तिथि से वेतन निर्धारण कराने पर अगली वेतनवृद्धि दिनांक 01 जुलाई, 2008 से अनुमन्य न होने के कारण दिनांक 01 जुलाई, 2009 को वेतनवृद्धि अनुमन्य कराते हुए दिनांक 01 जुलाई 2009 को निर्धारित मूल वेतन (बैण्ड वेतन ₹24,290 + ग्रेड वेतन ₹7,600) ₹31,890

(2) उच्चीकरण की तिथि के बजाए, उच्चीकरण की तिथि के बाद देय वेतनवृद्धि की तिथि अर्थात दिनांक 01 जुलाई, 2008 से वेतन निर्धारण कराने पर, मूल वेतन पर एक वेतनवृद्धि तथा उच्चीकृत ग्रेड वेतन अनुमन्य कराते हुए, दिनांक 01 जुलाई, 2008 को निर्धारित मूल वेतन (बैण्ड वेतन ₹24,260 + ग्रेड वेतन ₹7,600) ₹31,860

तदोपरान्त अगली वेतनवृद्धि की तिथि 01 जुलाई, 2009 को निर्धारित मूल वेतन (बैण्ड वेतन ₹25,220 + ग्रेड वेतन ₹7,600) ₹32,820

(11) उक्त शासनादेश दिनांक 24–12–2009 में सम्बन्धित पद धारकों को विकल्प का अवसर उपलब्ध न होने के कारण पूर्व में प्रस्तुत किये गये विकल्प से उनका वेतन कम निर्धारित होने की सम्भावना को दृष्टि में रखते हुए अग्रेतर शासनादेश संख्या–वे0आ0–2–577/दस–59(एम)/2008टी0सी0 दिनांक 29–06–2010 द्वारा संशोधित विकल्प उक्त शासनादेश दिनांक 29–6–2010 के निगर्मन की तिथि से 90 दिन के अन्दर प्रस्तुत किये जाने की व्यवस्था की गयी है।

(12) किसी पद विशेष के वेतन के विद्यमान उच्चतर समयमान वेतनमान में रखे जाने (Replacement) के मामले में पद का उच्चतर समयमान वेतनमान में प्रारम्भिक वेतन, अधिसूचना संख्या– जी–2–14876/दस –2006–303–96, दिनांक 25–09–2008 द्वारा यथा

संशोधित मूल नियम–22 के उप नियम (क) के खण्ड (दो) के उपखण्ड (ग) के अन्तर्गत दिनांक 25–09–2006 से उपखण्ड (क) और (ख) में यथा विहित रीति के अनुसार निर्धारित किये जाने की संशोधित व्यवस्था निम्नवत् लागू की गयी है। जबकि उक्त दिनांक 25–09–2006 के पूर्व की तिथि तक ऐसे मामले में वेतन–निर्धारण मूल नियम–22 के नीचे अंकित सम्परीक्षा अनुदेश–22 के नीचे अंकित सम्परीक्षा अनुदेश–4 के अनुसार किये जाने की व्यवस्था रही है। तत्सम्बन्धित शासनादेशों में प्रायः वेतन–निर्धारण विषयक प्रक्रिया/नियमों का उल्लेख विकल्प चुनने की सुविधा के साथ रहता है।

(क) उच्चीकृत मूल वेतन में यथासंशोधित व्यवस्थानुसार प्रारम्भिक वेतन, उस प्रक्रम न हो, तो वह पुराने वेतनमान में अपने वेतन के अगले प्रक्रम पर आहरित करेगा।

प्रतिबन्ध यह है कि जहाँ उच्चीकृत वेतनमान का न्यूनतम वेतन उसके पूर्व वेतन से अधिक हो, तो उच्चीकृत वेतनमान के न्यूनतम वेतन ही प्रारम्भिक वेतन के रूप में आहरित करेगा।

प्रतिबन्ध यह भी है कि ऐसे मामले में, जहाँ वेतन उसी प्रक्रम पर निर्धारित होता है, तो वह वही वेतन उस समय तक आहरित करता रहेगा, जब तक कि उसे पुराने वेतनमान में एक वेतनवृद्धि प्राप्त न हो जाय और ऐसे मामलों में जहाँ वेतन उच्च प्रक्रम पर निर्धारित होता है, वह अपनी अगली वेतनवृद्धि उस अवधि को पूरा करने पर पायेगा जब उसे उच्चीकृत वेतनमान में एक वृद्धि अर्जित हो जाय।

(ख) इस प्रसंग में एक माह के अन्दर यह विकल्प प्रयोग करने का अधिकार होगा कि वह अपना वेतन पुराने वेतनमान में वेतनवृद्धि की तिथि अथवा उच्चीकृत वेतनमान के प्रभावी होने की तिथि से निर्धारित करा ले।

6.20 संवर्गीय पुनगर्ठन (कैडर रिव्यू) होने की दशा में वेतन–निर्धारण

प्रायः संवर्गीय पुनगर्ठन (कैडर–रिव्यू) तत्कालिक प्रभाव से अथवा किसी इंगित तिथि से शासन द्वारा लागू किया जाता है और इस सम्बन्ध में प्रशासनिक विभाग से निर्गत शासनादेश में ही पुनगर्ठन के परिणाम स्वरूप उच्चीकृत/स्वीकृत पदों पर किसी स्थिति विशेष में समायोजन अथवा पदोन्नति आदि की प्रक्रिया के प्रसंग में यथास्थिति वेतन–निर्धारण हेतु अपनायी जाने वाली प्रक्रिया एवं सुसंगत नियमों का उल्लेख रहता है, जिसका अनुपालन अपेक्षित होता है।

6.21 प्रत्यावर्तित होने पर वेतन निर्धारण

(क) मूल नियम–22B(2)(iii): किसी सरकारी सेवक का उसके पुराने निम्न पद पर या वेतन के उसी समयमान में किसी अन्य पद पर प्रत्यावर्तित होने पर ऐसा वेतन होगा, जिसे सेवक का वेतन मूल नियम–27 के अधीन पहले ही निर्धारित कर दिया यगा हो तो प्रत्यावर्तित होने पर उसका वेतन मूल नियम 26 (सी) के अनुसार उसे उसके उच्चतर पद पर की गई सेवा का लाभ भी देते हुए, मूल नियम 27 के अधीन पुनः निर्धारित किया जाएगा।

(ख) मूल नियम–22B(2)(iv): यदि कोई सरकारी सेवक किसी उच्चतर पद से ऐसे निम्न पद पर प्रत्यावर्तित किया जाय जिसके वेतन का समयमान उस पद के वेतन के समयमान से अधिक हो जिस पर उसे अपना वेतन उच्च पद पर नियुक्त किए जाने के पूर्व आहरित किया, तो उस स्थिति में, ऐसे मध्यवर्ती पद पर उसे अनुमन्य वेतन इस नियम के अनुसार निर्धारित किया जाएगा।

(ग) मूल नियम–28: कोई प्राधिकारी जो कि सरकारी कर्मचारी को दंड के रूप में किसी उच्च पद से निम्न श्रेणी या पद पर स्थानान्तरित करता है उसे निम्न पद के उच्चतम वेतन से अनधिक कोई भी वेतन, जिसे वह उचित समझे, दे सकता है। किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इस नियम के अन्तर्गत सरकारी कर्मचारी के जो वेतन पाने की अनुमति दी जाय वह उस वेतन से अधिक न

होने पाये जो उसे नियम 26 के खण्ड–(ख) या (ग) (जो भी लागू हो) के साथ पठित नियम–22 के लागू होने से मिलेगा। नियम–28 से सम्बन्धित श्री राज्यपाल के आदेशानुसार इन नियमों के अनुशासनात्मक कारणों से उसी वेतन–क्रम में वेतन को उच्च स्तर से निम्न स्तर पर घटा देने में कोई रूकावट नहीं है।

(घ) मूल नियम–29:

(1) यदि कोई सरकारी कर्मचारी अपने ही वेतनक्रम में दण्ड के रूप में किसी निम्न स्तर पर उतार दिया जाय हो इस कमी के आदेश देने वाला प्राधिकारी उस अवधि को बता देगा जब तक यह आदेश प्रभावी होगा और यह भी कि क्या प्रत्यावर्तन पर उसका प्रभाव यह होगा कि भविष्य में मिलने वाली वेतनवृद्धियाँ स्थगित हो जायेगा, और यदि ऐसा है, तो किस सीमा तक?

(2) यदि कोई सरकारी कर्मचारी दण्ड के रूप में किसी निम्न श्रेणी या पद पर उतार दिया जाता है तो नीचे उतारने के आदेश देने वाला प्राधिकारी इस अवधि को चाहे बतावे या न बतावे जिसमें यह आदेश प्रभावी रहेगा, लेकिन यदि अवधि बता दी गई हो तो उस प्राधिकारी को यह भी बताना होगा कि क्या प्रत्यावर्तन पर इसका प्रभाव यह होगा कि भविष्य में मिलने वाली वेतनवृद्धियाँ स्थगित हो जायेंगी और यदि ऐसा हो, तो किस सीमा तक?

नोट– नियम–29 से सम्बन्धित श्री राज्यपाल के आदेश भी अवलोकनीय हैं।

6.22 सेवानिवृत्ति के पश्चात् पुनर्नियुक्ति पर वेतन निर्धारण

सेवानिवृत्ति के उपरान्त सिविल सरकारी सेवकों के पुनर्योजन एवं उक्त अवधि में वेतन निर्धारण के लिए प्राविधान सिविल सर्विस रेगुलेशन्स (सी0एस0आर0) के अनुच्छेद 520 तथा सुसंगत शासनादेश संख्या– सा–3–1443/दस–930/83, दिनांक 15.12.1983, सा–3–2211/दस–930/83, दिनांक 25.11.1988 एवं सा–3–1527/दस–930/83, दिनांक 11.07.1989 में निहित हैं, जिनके अनुसार–

(क) सामान्यतया पुनर्योजन की अवधि में सरकारी सेवक को वह नियत वेतन अनुमन्य होने की पूर्व में व्यवस्था रही है, जो उसके समस्त नैवृत्तिक लाभों (बिना राशिकरण के शुद्ध पेंशन एवं ग्रुच्युटी के पेंशनरी समतुल्य धनराशि का योग) को सम्मिलित करते हुए अन्तिम आहरित वेतन अथवा पुनर्नियोजित पद के वेतनमान के अधिकतम, जो भी कम हो, से अधिक न हो। पुनर्योजित सरकारी सेवक की स्थिति एक अस्थायी सरकारी सेवक जैसी होने की दशा में सामान्यतया उपर्युक्तानुसार अनुमन्य किये गये वेतन एवं सकल पेंशन की धनराशि के योग पर अनुमन्य मंहगाई भत्ता एवं अन्य अनुमन्य भत्ते दिये जाने की व्यवस्था उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 15.12.1983 के अनुसार रही है।

(ख) बाद में उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 25.11.1988 सपठित उक्त शासनादेश दिनांक 11.07.1989 द्वारा पुनर्नियोजन की दशा में वेतन–निर्धारण के लिए अन्तिम आहरित वेतन में से केवल शुद्ध पेंशन (बिना राशिकरण) ही घटाने अर्थात् ग्रेच्युटी की पेंशनरी समतुल्य धनराशि अन्तिम आहरित वेतन में से कम न करने की संशोधित व्यवस्था दि0 01.06.1988 से लागू की गई है।

उदाहरण :– श्री ''क'' तत्कालीन वेतनमान ₹18,400–500–22,400 के पद से सेवानिवृत्त हुए, जिनका अन्तिम वेतन ₹20,900 था और पेंशन (बिना राशिकरण) ₹10,450 स्वीकृत हुई। यदि उनकी पुनर्नियुक्ति समान वेतनमान के पद पर की जाती है, तो कार्यभार ग्रहण करने की तिथि को वेतन निम्नवत् निर्धारित होगा–

1.	अन्तिम आहरित वेतन	₹20,900
2.	शुद्ध पेंशन (–)	₹10,450
3.	निर्धारित होने वाला वेतन	₹10,450

नोट : यदि पुनर्नियुक्ति ऐसे पद पर की जाती है, जिसके वेतनमान का अधिकतम ₹20,000 है, जो अन्तिम आहरित वेतन ₹20,900 से कम है, तो ऐसी दशा में पुनर्नियोजित पद के वेतनमान का अधिकतम ₹20,000 (–) पेंशन ₹10,450 = **₹9,550** ही वेतन निर्धारित होगा।

7. कतिपय अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रावधान–

- सक्षम प्राधिकारी/नियुक्ति प्राधिकारी के आदेश से नोशनल पदोन्नति किये जाने के मामले में कार्मिक विभाग से निर्गत उपर्युक्त शासनादेश संख्या–13/21/89–का–1–1997 दिनांक 28.05.1997 के प्रस्तर–1 (8) के अनुसार मूल नियम–27 के अन्तर्गत **वित्त विभाग की सहमति से ही** वेतन–निर्धारण किये जाने की व्यवस्था है।
- यथासंशोधित मूल नियम–22–बी के उपनियम–(2)(एक), जो तदोलिखित विशिष्ट दशाओं में एक ही सेवा –संवर्ग में कनिष्ठ कार्मिक के वेतन की तुलना में किसी वरिष्ठ कार्मिक का वेतन कम हो जाने की असंगति (Anomaly) के निराकरण से सम्बन्धित है, के अन्तर्गत वेतन के पुनर्निर्धारण के आदेश शासनादेश सं0–जी–2–289/दस–84–302–82, दिनांक 31.03.1984 में निहित स्पष्टीकरण–निर्देशों के अनुसार शासन (प्रशासनिक विभाग) द्वारा **वित्त विभाग की सहमति से ही** किये जाने की व्यवस्था है।
- बाध्य प्रतीक्षाकाल के नियमन हेतु सरकारी कर्मचारी को ड्यूटी पर समझे (माने) जाने के आदेश शासन (प्रशासनिक विभाग) द्वारा मूल नियम–9(6)(बी) सपठित शासनादेश सं0–जी–1–528/दस–1999–213– 98, दिनांक 09.08.1999 के अन्तर्गत **वित्त विभाग की सहमति से ही** निर्गत किये जाने की व्यवस्था है।

****